

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009 तथा 2015) एवं
युवाओं पर इसका प्रभाव: लखनऊ शहर के दो चयनित
प्रशिक्षण केन्द्रों का अध्ययन

लघु शोध प्रबन्ध

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में
एम०फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत

मास्टर ऑफ फिलॉसफी
(एम०फिल०)

शोधार्थी

शशि कुमारी रावत
नामांकन सं० 967 / 15

शोध निर्देशक
प्रो० बीरेन्द्र नारायण दुबे

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY



• LUCKNOW •

प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

समाजशास्त्र विभाग

अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ०प्र०)

2019

उद्घोषणा

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009 तथा 2015) एवं युवाओं पर इसका प्रभाव: लखनऊ शहर के दो चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों का अध्ययन विषय पर शोध कार्य प्रोफेसर बीरेन्द्र नारायण दुबे, समाजशास्त्र विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के निर्देशन में पूर्ण किया है। एम0फिल0 की उपाधि हेतु प्रस्तुत यह लघु शोध-प्रबन्ध मेरा मौलिक कार्य है। प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध इससे पहले इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में एम0फिल0 उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य प्रत्येक प्रकार से प्लैग्यरिज्म मुक्त है।

दिनांक...28/6/19

Shabhi Rawat

शशि कुमारी रावत

(शोध-छात्रा)

नामांकन संख्या 967 / 15

समाजशास्त्र विभाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर

विश्वविद्यालय

लखनऊ



बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
विद्या विहार, रायबरेली रोड लखनऊ-226025

(केंद्रीय विश्वविद्यालय)- 'A' ग्रेड

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A central University)-NAAC'A'Grade

Vidya Vihar,Raebareli Road, Lucknow-226025

CERTIFICATE

This is certify that M.Phil Dissertation titled राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009 तथा 2015) एवं युवाओं पर इसका प्रभाव: लखनऊ शहर के दो चयनित शिक्षण केन्द्रों का अध्ययन submitted by Ms. Shashi Kumari Rawat is an original research work and has not been previously submitted in part or full for the award of any degree or diploma to this or any other University.

The M.Phil Dissertation submitted to Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow, satisfies all the requirements as stipulated in the *Master of Philosophy (M.Phil.) Regulations-2015* and it is fit for submission and evaluation for the award of the degree of Master of Philosophy of the University.

Date: 28/6/2019

Supervisor

Head of the Department

आभार

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों को अपनी कृतज्ञता व आभार समर्पित करती हूँ जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन के बिना यह सम्भव नहीं था। प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध को पूरा करने में मेरे गुरुजनों, मित्रों एवं सहपाठी मित्रों का भी पूर्ण योगदान रहा है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इनके सहयोग से ही मैं यह लघु शोध प्रबन्ध तैयार कर सकी हूँ।

मैं परम आदरणीय प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बीरेन्द्र नारायण दुबे जी की जीवन पर्यन्त अभारी रहूँगी जिन्होंने मुझे इस शोध कार्य के लिए प्रेरित एवं निर्देशित किया है तथा समय-समय पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा की है। उनके विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन और स्नेहपूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप ही मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर सकी हूँ। अतः मैं उनके प्रति अपना कोटि-कोटि धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।

समाजशास्त्र के आचार्य एवं सहायक आचार्य प्रो० कामेश्वर चौधरी जी, प्रो० मनीष कुमार वर्मा जी, प्रो० विभूति भूषण मलिक जी, डॉ० जया श्रीवास्तव जी, डॉ० बृजेश कुमार जी की भी मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने समय-समय पर अपना मार्गदर्शन दिया एवं प्रोत्साहन देकर इस लघु शोध प्रबन्ध को पूर्ण कराने में मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। मैं समाजशास्त्र विभाग के कर्मचारियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे काफी सहयोग प्रदान किया है। शोध अध्ययन हेतु सामग्री संकलन के लिए मैंने

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की गौतम बुद्ध पुस्तकालय का पूर्ण सहयोग लिया है। जिसके लिए मैं पुस्तकालय के सभी कर्मचारियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों व विशेष रूप से अपनी माता श्रीमती सुनीता रावत एवं पिता श्री रमेश रावत भाई धीरज रावत, नीरज रावत व बहन ज्योति रावत को भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग प्रदान कर मेरा मनोबल बनाये रखा है। मैं विशेष रूप से अपने सहपाठियों श्वेता सिंह, मंजू सिंह, मोनिका वर्मा, सौरभ कुमार, सतीश कुमार की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे समय-समय पर प्रेरित किया एवं पूर्ण सहयोग प्रदान किया इसके अलावा मैं अपने वरिष्ठ शोधार्थी श्रीमान् डॉ दिलीप सिंह राठी एवं शोधार्थी रमेश कुमार जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने शोध कार्य हेतु मुझे सहयोग प्रदान किया।

अन्त में मैं उन सभी उत्तरदाताओं के रूप में शामिल कौशल प्रशिक्षण केंद्र के छात्र एवं छात्राओं तथा कौशल प्रशिक्षण केंद्र के प्रबन्धक एवं प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने शोध अध्ययन से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का उत्तर सहयोगपूर्वक दिया। इनके सहयोग के बिना यह शोध कार्य असम्भव था।

शोध छात्रा
Shabhi Rawat

शशि कुमारी रावत

विषय सूची

उद्घोषणा	
प्रमाण-पत्र	
आभार	
सारणी सूची	
संक्षिप्त शब्द-सूची	
अध्याय-1 प्रस्तावना	1-28
राष्ट्रीय कौशल विकास योजना	
भारत में वर्तमान रोजगार स्थिति	
सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा	
अध्ययन की समस्या	
शोध अध्ययन उद्देश्य	
शोध अध्ययन प्रवधि एवं विश्लेषण	
अध्याय योजना	
अध्याय-2 राष्ट्रीय कौशल विकास योजना	29-61
प्रस्तावना	
राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009 तथा 2015)	
राष्ट्रीय कौशल विकास योजना उद्देश्य	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	
लखनऊ जनपद में वर्तमान कौशल स्थिति	
अध्याय-3 शहरी युवाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति	62-73
प्रस्तावना	
सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति	
आर्थिक स्थिति	

अध्याय—4	शहरी युवाओं पर कौशल विकास योजना का प्रभाव प्रस्तावना भारत में कौशल विकास उपलब्धियाँ युवाओं में कौशल पाठ्यक्रम अनुसार रोजगार स्थिति युवाओं में जाति के अनुसार रोजगार स्थिति कौशल प्रशिक्षित युवाओं की व्यवसायिक प्रशिक्षण स्थिति कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में भेदभाव सम्बन्धी स्थिति कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में समस्या सम्बन्धी स्थिति प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध प्रयोगात्मक संसाधन स्थिति जाति के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रभाव स्थिति	74—89
अध्याय—5	निष्कर्ष एवं सुझाव	90—99
	संदर्भ ग्रंथ सूची	100—102
	परिशिष्ट	

सारणी सूची

पृष्ठ सं०

1.1	भारत में श्रम भागीदारी (15–59 वर्ष) 2011–12	13
3.1	कौशल प्रशिक्षण केंद्र में कौशल प्रशिक्षित छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक स्थिति	63
3.2	कौशल प्रशिक्षण केंद्र में कौशल प्रशिक्षित छात्र एवं छात्राओं की शैक्षणिक स्थिति	65
3.3	कौशल प्रशिक्षण केंद्र में कौशल प्रशिक्षित छात्र एवं छात्राओं की आर्थिक स्थिति	67
3.4	जाति अनुसार कौशल प्रशिक्षित छात्र एवं छात्राओं की आर्थिक स्थिति	69
4.1	भारत में कौशल प्रशिक्षण अनुसार रोजगार उपलब्धि (2017–18)	75
4.2	युवाओं की कौशल पाठ्यक्रम अनुसार रोजगार स्थिति	77
4.3	युवाओं की जाति अनुसार रोजगार प्राप्ति स्थिति	80
4.4	कौशल प्रशिक्षित युवाओं की व्यवसायिक प्रशिक्षण स्थिति	82
4.5	कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में भेदभाव सम्बन्धी स्थिति	83
4.6	कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में समस्या सम्बन्धी स्थिति	85
4.7	कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध प्रयोगात्मक संसाधन स्थिति	86
4.8	युवाओं में जाति अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रभाव स्थिति	87

ABBREVIATION

MSDE	MINSTERY OF SKILL DEVELOPMENT MISSION
NSDC	NATIONL SKILL DEVELOPMENT CORPORATION
NSDA	NATIONAL SKILL DEVELOPMENT AGENCY
DGT	DIRECTORATE GENERAL TRAINING
NSDF	NATIONAL SKILL QUALIFICATION FRAMEWORK
SSC	SECTOR SKILL COUNCIL
PMKVY	PRADHAN MANTRI KOUSHAL VIKAS YOJNA
PMKK	PRADHAN MANTRI KOUSHAL KENDRA
CSSM	CENTRALLY SPONSORED STATE MANAGED
CSCM	CENTRALLY SPONSORED CENTRALLY MANAGED
SC	SCHEDULED CASTE
ST	SCHEDULED TRIBE
TCS	TATA CONSULTANCY SERVICES
TP	TRAINING PROVIDER
RPL	RECOGNIZE PRIOR LEARNING
SCSP	NATIONAL SERVICE CAREER PORTAL
IVR	INTERACTIVE VOICE RESPONSE
IMC	INTERNAL MONITORING COMMITTEE
ABS	BIOMETRIC ATTENDANCE SYSTEM
SDSM	SKILL DEVELOPMENT MANAGEMENT SYSTEM
UPSDM	UTTER PRADESH SKILL DEVELOPMENT MISSION
SSDM	STATE SKILL DEVELOPMENT MISSION

NSDC	NATIONAL SKILL DEVELOPMENT COUNCIL
NRLM	NATIONAL RURAL LIVELIHOOD MISSION
DPMU	DISTRICT PROGRAMME MANAGEMENT UNIT
SPMU	STATE PROGRAMME MANAGEMENT UNIT
APMU	ASSISTANT PROGRAMME MANAGEMENT UNIT
PPP	PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
NVQF	NATIONAL QUALIFICATION FRAMEWORK
NGO	NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION
MHRD	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

प्रस्तावना

भारत में आधी से ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है। जो कि देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का 19.1 प्रतिशत है। जनगणना (2011) युवा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद भी युवा रोजगार समाज के लिए एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। सरकार द्वारा समय-समय पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलायी जा रही हैं। जिससे उन्हें श्रम बाजार में बेहतर रोजगार प्राप्त हो सके परन्तु इसके बावजूद आज भी उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार प्राप्त करने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में जिस प्रकार की शिक्षा युवाओं को प्रदान की जा रही है वह उन्हें शिक्षित तो बना रही है परन्तु कौशल शिक्षा की कमी के कारण वह उन्हें अच्छा रोजगार प्रदान करने में पूरी तरह से सफल साबित नहीं हो पा रही है। इसका एक कारण यह है कि उनमें रोजगार योग्य आवश्यक कौशल एवं व्यवसायिक शिक्षा की कमी है।

देश के अधिकतर युवा आज अपनी प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य तो प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु आज भी युवा वर्ग कौशल शिक्षा की कमी के कारण प्रायः अच्छा रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हैं। देश में 15 से 24 साल के युवाओं को अपनी प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा में कौशल पूर्ण प्रशिक्षण की कमी के कारण भविष्य में बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2014, के अनुसार भारत में औपचारिक रूप से कुशल रोजगार का वर्तमान अनुपात 2 प्रतिशत ही है। तथा सम्पूर्ण युवा आबादी का लगभग 34 प्रतिशत युवा ही श्रम बाजार में रोजगार प्राप्त करने योग्य तैयार हो पाते

हैं। अतः इन सभी समस्याओं को देखते हुए युवाओं में कौशलपूर्ण शिक्षा की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जिससे वह श्रम बाजार के अनुसार बेहतर रोजगार के लिए तैयार हो सके। आज जिस प्रकार की शिक्षा युवाओं को प्रदान की जा रही है वह उनका पूर्णतया विकास करने में असमर्थ है। जनगणना (2011) के अनुसार देश में 15 से 29 वर्ष के बीच 8.9 प्रतिशत युवा कौशल शिक्षा की कमी के कारण बेरोजगार हैं।

अतः इन समस्याओं को देखते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति (2015) की शुरुआत की गई। तथा इस नीति के अर्न्तगत यह प्रस्ताव रखा गया कि राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के अर्न्तगत निर्धारित कौशल मानको को ध्यान में रखते हुए युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक एवं उपयोगी कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाय तथा यह भी निर्णय लिया गया कि कौशल प्रगति स्वरूप प्रस्तुत नीति की प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद समीक्षा की जायेगी। प्रस्तुत नीति के अर्न्तगत अधिक से अधिक संख्या में युवाओं की कौशल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कौशल विकास द्वारा सभी सीमांत वर्गों जैसे—ग्रामीण, शहरी महिलाओं पुरुषों निजि क्षेत्रों में काम कर रहे ग्रामीण श्रमिकों में कौशल विकास द्वारा महिला पुरुष असामनता को कम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति वर्तमान रोजगार की मांगों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को रोजगार योग्य उचित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। जिससे वे बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें।

सरकार द्वारा चलायी गई इस नीति के अर्न्तगत कौशल विकास द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति अच्छा रोजगार प्राप्त करने के साथ ही समाज में बेहतर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को भी प्राप्त करता है। विश्वस्तर पर साबित हो चुका है कि देश के सामाजिक, आर्थिक विकास तभी सम्भव है जब उस देश के युवा कौशल प्रशिक्षित होंगे एवं जितनी अधिक संख्या में देश के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा उतना ही देश आर्थिक रूप से सम्पन्न होगा अतः युवा कौशल विकास देश के विकास के लिए आवश्यक है।

कौशल विकास की परिभाषा

कौशल विकास

अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन, के अनुसार कौशल विकास को सत्त विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में जाना जाता है। वैश्वीकरण के सन्दर्भ में कौशल विकास को आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती नई प्रौद्योगिकीयों एवं बढ़ते रोजगार के अवसरो एवं चुनौतियों के सम्बन्ध में समाधान उपलब्ध कराता है। कौशल विकास का उद्देश्य वैश्विक बाजार के अनुसार युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल एवं व्यवसायिक ज्ञान प्रदान करना है।

कौशल

- कौशल किसी काम को उचित प्रकार से करने वाले ज्ञान अभ्यास, योग्यता, आदि से आने वाली क्षमता के रूप में जाना जाता है।
- कौशल को किसी कार्य में निपुणता एवं उत्कृष्टता के रूप में देखा जाता है।
जैसे— महिलाओं में कढ़ाई के कार्य में निपुणता होती है।
- एक कौशल को किसी निश्चित समय में किये कार्य का ऊर्जा एवं पूर्व निर्धारित परिणामों के रूप में जाना जाता है।

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009 तथा 2015)

कौशलपूर्ण ज्ञान किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक विकास के मुख्य आधार हैं। आज के युवा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में युवाओं को जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा रही है वह युवाओं का कौशल विकास करने तथा उन्हें रोजगार प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। इसका मुख्य कारण उनमें शैक्षिक स्तर पर कौशलपूर्ण व्यवसायिक शिक्षा की कमी है। आज युवाओं ने अपनी प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया है। वही आज भी उनमें रोजगार योग्य आवश्यक कौशल शिक्षा की कमी है। सरकार द्वारा देश में युवाओं के लिए पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। परन्तु वे पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (2010) की रिपोर्ट अनुसार केवल 10.1 प्रतिशत युवा ही श्रम बल का व्यवसायिक प्रशिक्षण

प्राप्त हैं। वही सम्पूर्ण श्रम बल का 25.6 प्रतिशत युवा ही औपचारिक रूप से व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर पाते हैं।

जबकि उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि बच्चों के बीच सीखने की क्षमता के परिणाम अत्यन्त निम्न हैं। इसका एक कारण यह है कि उच्च स्तर पर जिस प्रकार की शिक्षा छात्रों को प्रदान की जा रही है उसमें गुणवत्ता की कमी है इसके अतिरिक्त कौशल एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले प्रशिक्षणदाता निम्न स्तर पर तैयार किए जाते हैं। भारत की कौशल विकास रिपोर्ट (2015) के अनुसार कुल सर्वेक्षण किए गए लोगों में से 37.88 प्रतिशत पुरुष तथा 34.26 प्रतिशत महिलाएँ ही रोजगार योग्य पायी गई हैं।

युवा देश की सम्पन्नता के रखवाले होते हैं। तथा किसी भी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में कौशल और ज्ञान ही दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में तेजी से बढ़ती रोजगार की चुनौतियों का सामना करने में वे देश आगे हैं जिस देश के युवाओं ने उच्च प्रकार की कौशल शिक्षा प्राप्त की हुई है। अतः युवा कौशल शिक्षा की ओर बड़े स्तर पर सोचा जाना अनिवार्य है। देश में युवा रोजगार की समस्या को देखते हुए देश के युवाओं को उचित प्रकार से कौशल प्रशिक्षित करना आवश्यक हो गया है। अतः देश में कौशल शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की शुरुआत (2009) में की गई।

राष्ट्रीय कौशल विकास विकास नीति (2009) की शुरुआत देश में युवाओं को कौशलपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। जिसके लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से कौशल वित्त बजट को (2011-12)-

(2012-13) के अनुसार मंजुरी दी गयी। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009) का गठन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम बोर्ड एवं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद तथा अन्य विभिन्न कौशल मंत्रालयों के साझा सहयोग से की गई थी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की अध्यक्षता की जिम्मेदारी नियोजन आयोग के अध्यक्ष की होती है। इसके साथ ही विभिन्न कौशल मंत्रालयों द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास नीति को प्रत्येक पाँच वर्ष में समीक्षा की मंजुरी भी दी गयी थी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, (2009)

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के अर्न्तगत ज्यादा से ज्यादा संख्या में निचले तबके के समूहों विशेषकर महिलाओं, ग्रामीण, शहरी पुरुषों एवं हाशिये पर रहने वाले समूहों तथा अन्य सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों तक कौशलपूर्ण प्रशिक्षण की पहुँच सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति वर्तमान श्रम बाजार में रोजगार एवं उद्योगों की जरूरतों के अनुसार युवाओं को उचित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति रोजगार को बढ़ावा देकर युवाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करती है।

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के अर्न्तगत राष्ट्रीय कौशल व्यवसायिक योग्यता (NSQF) के तहत इस योजना को विभिन्न उच्च स्तर डिग्री, डिप्लोमा प्रोग्रामों के साथ जोड़ा गया है। जिससे छात्र संस्थागत स्तर से ही अपनी कौशल एवं व्यवसायिक क्षमता का विकास कर सके। राष्ट्रीय कौशल व्यवसायिक योग्यता (NSQF) के अर्न्तगत राष्ट्रीय कौशल विकास एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के द्वारा युवक एवं युवतियों का कौशल विकास करके

अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें रोजगार प्राप्त करने योग्य प्रशिक्षण प्रदान करवाया जा रहा है। सीमा पाण्डे, (2016)

कौशल विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि समाज के सभी समूदायों तक उनकी पहुँच को सरलता से हो सके। राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण (NSQF) के अन्तर्गत विभिन्न मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों को कम समय अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण अधिनियम (1961) के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों जैसे—आई0टी0आई0, व्यवसायिक स्कूल, पॉलिटेक्निक्स एवं विभिन्न रोजगार पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम से जोड़ा गया। जिसके अन्तर्गत औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया गया। साथ ई0 लर्निंग, वेब आधारित शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत फीस माफी का भी प्रावधान रखा गया। पाण्डे अंकुल तथा डा. एन. के. वर्मा, (2017)

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की प्रत्येक पाँच वर्ष में समीक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास नीति एवं उद्यमिता की शुरुआत जुलाई (2015) में विश्व युवा दिवस के अवसर पर की गई। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति (2015) राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009) का अधिग्रहण करती है।

प्रस्तुत नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009) की शैक्षिक चुनौतियों का गुणवत्तापूर्ण मानको को ध्यान में रखते हुए समाधान

उपलब्ध कराना है। जिस प्रकार देश आज वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए युवाओं को उचित कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2015) का उद्देश्य देश में कौशल दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर कौशल प्रशिक्षण के सभी मानकों को एक छतरीनुमा संरचना प्रदान करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति कौशल विकास के अनुमानित परिणामों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास कार्यक्रम को विभिन्न संस्थागत स्तरों से जोड़ती है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति अपने कार्यों का निर्वाहन विभिन्न सरकारी संस्थाओं जैसे—एन0जी0ओ0 निजी प्रशिक्षण केन्द्रों जैसे—महिन्द्रा कौशल विकास केंद्र एवं अन्य कौशल उद्यमियों के साथ मिलकर यह नीति अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त कर रही है।

प्रस्तुत योजना के अर्न्तगत युवा कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ ही इसे निजी रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों से भी जोड़ा गया है। जिसमें मिन्त्रा, हीरो होन्डा शोरूम पिज्जा हट, बिग बाजार, मोबाइल रिपेयर शोरूम एच0डी0एफ0सी0 बैंक स्पेन्सर,टेलीकॉम सेक्टर रिटेल क्षेत्र एवं अन्य विभिन्न रोजगार के क्षेत्रों से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति युवाओं को उचित कौशल प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही इसे उद्यमिता क्षेत्र से भी जोड़ती है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति को 'कौशल भारत' के अर्न्तगत केंद्रीय स्तर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा राज्य स्तर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अर्न्तगत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करवाया जा रहा है। प्रस्तुत राष्ट्रीय कौशल विकास योजना कौशल प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दुओं जैसे कुशल प्रशिक्षकों की कमी, कौशल प्रशिक्षण

की निम्न गुणवत्ता, औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा की कमी को राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के उद्देश्यों के अर्न्तगत लाती है। राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, (2015)

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति को कौशल विकास के सफल दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रभावकारी योजना के रूप में स्वीकार की गयी है।

राष्ट्रीय कौशल नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु चार प्रमुख क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रही है। यह नीति कम आपेक्षित मूल्य, औपचारिक शिक्षा से एकीकरण का अभाव, कौशल प्रशिक्षण के लिए उच्च बुनियादी सुविधाओं और कुशल प्रशिक्षकों की कमी आदि कौशल सम्बन्धी प्रमुख समस्याओं को कम करने का प्रयास कर रही है तथा राष्ट्रीय कौशल नीति वर्तमान कौशल सम्बन्धी समस्याओं का समाधान निकालने के साथ ही कौशल एवं उद्योगों के सम्बन्ध को मजबूत करने पर भी जोर देती है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के अर्न्तगत सभी वर्गों को समान रूप से कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है तथा इसके साथ ही यह नीति हाशिये पर रहने वाले वंचित वर्गों के लिए भी कौशल विकास के समान अवसर उपलब्ध कराती है। जिससे इन समुदायों को भी रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त हो सके तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, (2015)

राष्ट्रीय कौशल नीति के अन्तर्गत महिलाओं के कौशल विकास एवं महिला रोजगार सम्बन्धी समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति एवं उद्यमिता के द्वारा महिलाओं में औपचारिक शिक्षा के साथ ही कौशल शिक्षा के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति को न केवल उद्यमी संस्थाओं से जोड़ा गया है अपितु देश में कार्य कर रहे सभी गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ जाड़ने पर भी सहमति जताई गई है। पूर्व राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009) को 20 मंत्रालयों द्वारा संचालित किया जाता था जबकि संशोधित राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2015) को एक मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अधीन कर दिया गया है।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास नीति एवं उद्यमिता मंत्रालय के अन्तर्गत केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वाई.) का गठन जुलाई 2015 में किया गया। जो युवाओं को केंद्रीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह एक फ्लैगशिप योजना है। प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास योग्यता एवं उद्योगों द्वारा तय नियमों के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। नीति के अन्तर्गत मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र के आधार पर कौशल प्रशिक्षुओं को प्रति प्रशिक्षु कौशल ऋण लगभग आठ हजार रुपये प्रत्येक कौशल प्रशिक्षणकर्ता को प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे युवाओं पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। नीति के अन्तर्गत मुख्यतः उन लोगो पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है जो कि किन्ही कारणवश मध्य में ही अपनी शिक्षा छोड़

देते हैं। वर्तमान में इस नीति के अन्तर्गत लगभग 14 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे वह भविष्य में अपनी इच्छानुसार रोजगार प्राप्त कर करने में सक्षम हो सके। पत्र एवं सूचना कार्यालय, (2015)

भारत में वर्तमान युवा रोजगार स्थिति

आज भारत देश की तुलना देश के सबसे सम्पन्न आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में की जाती है। जबकि इसके बाद भी आज देश में युवा रोजगार की स्थिति अत्यन्त निम्न है। भारत में वर्तमान युवा रोजगार की स्थिति का 13.4(जनगणना,2011) प्रतिशत युवा ही श्रम बल की भागीदारी में अपना सहयोग दे पाते हैं। जबकि देश में कौशलपूर्ण शिक्षा की कमी के कारण युवाओं को रोजगार प्राप्ति में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। युवा देश के समाजिक, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा देश में कुशल युवा एवं उपलब्ध रोजगार के बीच मौजूद अन्तर को देखते हुए देश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना एक कल्पना सा लगता है। आज भी देश युवा कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के मामले में संघर्ष कर रहा है। देश में कुल युवा श्रमिकों का 2 प्रतिशत हिस्सा ही उचित प्रकार से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त है। आज जिस प्रकार की शिक्षा युवाओं को प्रदान की जा रही है वह उन्हें रोजगार योग्य तैयार करने में पूर्णतया सक्षम नहीं है। निजी क्षेत्रों में युवा श्रमिक प्रायः अनौपचारिक, औपचारिक रूप से रोजगार में कुशल होते हैं।

भारत में वर्तमान आँकड़ों से पता चलता है कि श्रमिकों का केवल 2.3 प्रतिशत हिस्सा ही औपचारिक रूप से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त है। जबकि

बाहरी देशों की तुलना में यह प्रतिशत अत्यधिक कम है। वही संयुक्त राज्य अमेरिका 68 प्रतिशत जर्मनी में 75 प्रतिशत तथा दक्षिण कोरिया में 46 प्रतिशत युवा श्रमिक औपचारिक रूप से कौशल प्रशिक्षित हैं। देश में आज भी युवाओं में कौशलपूर्ण कार्यबल की कमी है। वही व्यवसायिक कौशल न के बराबर है जो कि वर्तमान में युवाओं को बेरोजगार बना रहा है।

योजना आयोग के अनुसार, बारहवीं पंचवर्षीय योजना में देश की जनसंख्या का युवा श्रमिक वर्ग बहुत कम संख्या में कौशल प्रशिक्षित पाये गये हैं। देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का 55 प्रतिशत युवा ही अपनी प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। जबकि जनसंख्या का औसतन 2 प्रतिशत युवा वर्ग ही औपचारिक रूप से व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त हैं।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नये विचार और नया कौशल अभ्यास लाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास एंजेसी (NSDA) द्वारा कौशल समीति की स्थापना की गई। यह देश में राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम को लागू करने के साथ ही सभी युवाओं को एक समान कौशल प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराने का कार्य करता है।

राष्ट्रीय कौशल नीति का उद्देश्य रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से एक समान कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिक से अधिक संख्या में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (I.T.I) व्यवसायिक संस्थानों, तकनीकी स्कूल, पॉलीटेक्निक्स की स्थापना की जा रही है। जिससे युवाओं में कौशल प्रशिक्षण द्वारा एक विशिष्ट क्षेत्र में कौशल का विकास करके उन्हें रोजगार योग्य एवं आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है अतः राष्ट्रीय कौशल विकास नीति श्रम बाजार में उपयोगी रोजगार की जरूरतों को ध्यान में रखकर युवाओं को उचित कौशल प्रशिक्षण

उपलब्ध कराती है। जिससे उन्हें कम समय में अच्छा रोजगार प्राप्त हो सके तथा वह देश के सामाजिक, आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान कर सके।

तालिका सूची 1.1: भारत में श्रम भागीदारी (15-59 वर्ष), 2011-12

भारत	पुरुष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण	81.98	36.97	59.71
शहरी	78.38	20.90	50.56
कुल	80.76	31.70	56.67
उत्तरप्रदेश			
ग्रामीण	81.60	28.14	55.28
शहरी	77.05	14.50	47.17
कुल	80.76	31.70	56.67

स्रोत: एन.एस.एस.ओ. (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन)

प्रस्तुत तालिका सूची 1.1 श्रम जनगणना 2011, से स्पष्ट होता है दर्शायी गयी तालिका सूची यह स्पष्ट होता है। भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम की भागीदारी का अनुपात 59.71 प्रतिशत है। वही जिसमें पुरुष श्रम भागीदारी का प्रतिशत 81.98 तथा महिला श्रम भागीदारी का 36.97 प्रतिशत है। जबकि अगर हम शहरी क्षेत्रों में श्रम भागीदारी के प्रतिशत को देखते हैं तो यह ग्रामीण श्रम भागीदारी की तुलना में कम है। शहरी क्षेत्रों में कुल व्यक्ति श्रम भागीदारी का अनुपात 50.67 प्रतिशत है। जिनमें पुरुष श्रम भागीदारी का प्रतिशत 78.38 है। तथा महिला श्रम भागीदारी का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 20.90 है। अतः ग्रामीण शहरी श्रम भागीदारी का कुल प्रतिशत 56.67 है। इसके अतिरिक्त वही हम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल व्यक्ति श्रम भागीदारी का प्रतिशत देखते हैं तो यह 55.71 है। जिसमें पुरुष श्रम प्रतिशत 81.60 तथा महिला श्रम प्रतिशत 28.14 है। वही शहरी

क्षेत्रों में श्रम भागीदारी का प्रतिशत कम देखा गया है। जिसमें शहरी क्षेत्रों में कुल व्यक्ति श्रम भागीदारी का प्रतिशत 47.17 है। जिसमें पुरुष भागीदारी का प्रतिशत 77.05 तथा महिला श्रम भागीदारी का प्रतिशत न्यूनतम 14.05 है। जो अत्यधिक कम है। जबकि अगर हम ग्रामीण शहरी क्षेत्र में कुल व्यक्ति श्रम भागीदारी का प्रतिशत 56.67 है। जिसमें कुल पुरुष श्रम भागीदारी का प्रतिशत 80.76 तथा महिला श्रम भागीदारी प्रतिशत 31.70 है। जो पुरुष श्रम प्रतिशत की तुलना में न्यूनतम है।

साहित्य समीक्षा

रूपम ज्योति डेका तथा बात्रा, भाविका (2016): यह शोध अध्ययन कौशल भारत एवं भारतीय रोजगार के सन्दर्भ में कौशल विकास एवं रोजगार की सम्भावनाओं के एक अध्ययन पर आधारित है। लेखक ने अध्ययन में कौशल भारत की पहल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में चर्चा की है। तथा इसके साथ ही यह अध्ययन वर्तमान में उपलब्ध रोजगार एवं मौजूदा कौशल कौशल अन्तर को समझने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त इस शोध अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि कौशल भारत की पहल द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा तभी वह अपने आर्थिक लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकेगा। प्रस्तुत अध्ययन युवाओं में कौशल विकास द्वारा आर्थिक क्षेत्र में बढ़ते रोजगार के अवसरों पर भी प्रकाश डालता है। यह अध्ययन कौशल भारत की पहल द्वारा युवाओं में अच्छा रोजगार, उच्च प्रति व्यक्ति आय का भी अध्ययन करता है।

देवी, रमन (2017): यह अध्ययन भारत में कौशल विकास की सुविधाएँ एवं चुनौतियों के एक अध्ययन पर आधारित है। इस अध्याय में सरकार द्वारा कौशल भारत की पहल के माध्यम से युवा रोजगार को बढ़ाने के विभिन्न प्रयासों के बारे में बताया गया है। जिससे वर्तमान में युवा बेरोजगारी की समस्याओं को कम किया जा सके। तथा यह अध्ययन देश में कौशल विकास कार्यक्रम की वर्तमान रणनीतियों एवं युवाओं में कौशल विकास के वस्तविक प्रभावों पर भी प्रकाश डालता है। यह शोध युवाओं में कौशल प्राप्ति से सम्बन्धित विभिन्न चुनौतियों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन पूर्णतया द्वितीयक स्रोत माध्यम से एकत्र किए गए आँकड़ों पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन में यह बताया गया है। आज जिस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण युवाओं को प्रदान किया जा रहा है वह प्रशिक्षण युवाओं की शैक्षिक योग्यता के अनुसार प्रदान किया जा रहा है। जिससे युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके एवं जिससे उद्यमिता क्षेत्र में सुधार हो सके।

पाण्डे, अंकुल (2017): यह अध्ययन युवाओं में “कौशल भारत” प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव: की चर्चा करता है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है। तथा इस शोध का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को रोजगार में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अन्तर्गत कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर भिन्न-2 कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से समाज के वंचित और निम्न आय वर्ग के अधिक से अधिक युवाओं को कौशल ज्ञान और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के तहत सरकार

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिए सक्षम बनाकर रोजगार प्रदान कराना है। साथ ही कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रदान कर जैसे कृषि, कपड़ा बागवानी, मछली पालन जैसे व्यवसायिक कार्यों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है।

अग्रवाल, एस. (2016): यह शोध अध्ययन कौशल एवं रोजगार के बीच उपस्थित अन्तर को कुछ मुख्य बिन्दुओं के माध्यम से बताता है। यह अध्ययन वर्तमान में कौशल विकास की संरचना प्रणाली, कौशल विकास की क्षमता एवं युवा कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। तथा इसके अतिरिक्त इस शोध अध्ययन से स्पष्ट है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उसकी पूर्व शिक्षा एवं व्यवसायिक योग्यता को ध्यान में रखकर प्रदान किया जा रहा है। इस अध्ययन में यह बताया गया है कि किस प्रकार राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का कार्यान्वयन विभिन्न कौशल मंत्रालयों द्वारा वित्त उपलब्ध कराकर किया जा रहा है। इन सब के बाद भी कौशल विकास नीति को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः नीति की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे भविष्य में कौशल नीति का संचालन सफलता पूर्वक किया जा सके।

ओंकाडा, ए. (2012): यह अध्ययन भारत में युवाओं के लिए कौशल विकास की चुनौतियाँ एवं समाधान के बारे में बताता है। इस शोध में यह बताया गया है कि किस प्रकार युवा कौशल को सफल बनाने के लिए देश में रोजगार सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने वाले कई क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। प्रस्तुत अध्ययन में यह बताया गया है आज युवाओं को

कौशल शिक्षा प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अध्ययन द्वारा युवाओं के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें कौशल शिक्षा प्रदान की जा रही है। ताकि कौशल एवं रोजगार के बीच उपस्थित अंतर को समझा जा सके। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि देश को युवाओं की शिक्षा के लिए शिक्षा और कौशल शिक्षा में अपना निवेश लगाना चाहिए जिससे युवा रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ाया जा सके।

मिश्र, सुरेन्द्र कुमार (2015): इस अध्ययन में बताया गया है कि देश में बढ़े स्तर पर मौजूद युवा जनसंख्या का लाभ लेने का युवा कौशल विकास ही एक मात्र साधन है। इस अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान कौशल विकास नीति के माध्यम से कुशल युवाओं का विकास करना है। यह अध्ययन राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के तहत कौशल परिषद, कौशल समन्वय बोर्ड और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी की नीतियों के बारे में चर्चा करता है। शोध अध्ययन में यह बताया गया है कि वर्तमान कौशल विकास नीति को उद्योग और बदलती आर्थिक व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार संशोधित किया जाए। एवं कौशल विकास के अमानित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक निजी भागेदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

प्रो० जी० रानी संध्या, (2016): प्रस्तुत अध्ययन भारत में कौशल विकास द्वारा लैंगिक असमानता को कम करके कौशल विकास के महत्व के बारे में बताता है। इस अध्ययन में यह देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। साथ ही प्रस्तुत शोध अध्ययन में उन सभी कौशल विकास कार्यक्रमों का

अध्ययन किया गया है जो युवाओं के कौशल विकास के लिए चलाये जा रहे हैं। जैसे— प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उड़ान, स्मार्ट योजना आदि। इस अध्ययन से यह पता चलता है कौशल विकास द्वारा मुख्य रूप से महिलाओं का कौशल विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं को सिर्फ उन्ही रोजगार के लिए कुशल बनाना नहीं है जिनकी उन्हे आवश्यकता है बल्कि उन्हे बदलती रोजगार की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। महिलाएँ रोजगार क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जबकि वे आज ज्यादा से ज्यादा कम आय वाले निजी क्षेत्रों तथा सामाजिक सुरक्षा की कमी वाले अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इन सबको देखते हुए सरकार को महिला कौशल शिक्षा और रोजगार की अधिक आवश्यकता है।

संजय. एस. कप्तान, (2014): यह अध्ययन शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास द्वारा योग्यता निर्माण एवं देश में कौशल विकास की आवश्यकता के बारे में चर्चा करता है। प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षा की महत्व के बारे में चर्चा करते हुए बताया गया है कि किस प्रकार कौशल विकास के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और रोजगार के बीच उपस्थित अन्तर को राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शोध अध्ययन में बताया गया है कि कौशल विकास योजना के लक्ष्य को तभी पुरा किया जा सकता है। जब शैक्षणिक संस्थानों में कौशल विकास द्वारा योग्यता निर्माण को बढ़ावा दिया जायेगा।

संजीब, हाजारिका (2016): यह अध्ययन कौशल विकास द्वारा ग्रामीण उद्यमिता एवं ग्राम विकास के अध्ययन पर आधारित है। यह अध्ययन राज्य विकास संस्थान (SIRD) असम राज्य पर एक अध्ययन है। यह शोध अध्ययन ग्रामीण उद्यमिता के लिए ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा प्रदान की गई विभिन्न कौशल विकास सुविधाओं और असम कौशल विकास संस्थान द्वारा युवाओं को प्रदान की गई विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यों की जाँच करने का प्रयास करता है। यह शोध ग्रामीण विकास संस्थान में विभिन्न कौशल प्रशिक्षण आधारित सुविधाओं एवं विकास और विकास केन्द्र, विकास केन्द्र का प्रबंधन राज्य तथा संस्थान द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सुविधाओं के बारे में चर्चा करता है अध्ययन में यह पाया गया कि कौशल जागरूकता की कमी के कारण असम में उद्यम में वृद्धि बहुत ही कम देखने को मिलती है।

रस्तोगी, रवि (2017): यह शोध अध्ययन भारतीय ग्रामीण युवाओं पर कौशल विकास योजना के प्रभाव का अध्ययन करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें कृषि एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह अध्ययन कौशल प्रशिक्षण केन्द्र में युवाओं की भागीदारी एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कौशल कार्यक्रमों की चर्चा करता है। तथा इस अध्ययन द्वारा यह पता चलता है कि ग्रामीण युवाओं को विभिन्न प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तथा उन्हें इस तरह से कौशल प्रशिक्षित किया जाये जिससे वे स्वरोजगार के द्वारा अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करने में सफल हो सकें। प्रस्तुत शोध अध्ययन में तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक

एवं द्वितीयक दोनो प्रकार के स्त्रोत का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रो मे कौशल विकास द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण कौशल व्यवसाय की शिक्षा युवाओं को प्रदान की जा रही है जैसे- कृषि, मधुमक्खी पालन,समुद्री मतस्य पालन,रेशम कीट पालन आदि विशिष्ट प्रकार का कौशल प्रशिक्षण ग्रामीण युवाओं को प्रदान किया जा रहा है।

सिन्हा, संजय (2015): यह शोध अध्ययन असम के चाय उद्योगों में कौशल विकास की भूमिका असम के चयनित चाय उत्पादको का एक अध्ययन पर आधारित है। है। इस अध्ययन का उद्देश्य छोटे चाय उत्पादकों के जीवन मे आने वाली रोजगार सम्बन्धी विभिन्न चुनौतियों तथा समस्याओं का अध्ययन करना है। यह शोध अध्ययन 83 उत्तरदाताओं के माध्यम से असम के चाय उत्पादक क्षेत्रो मे काम करने वाले श्रमिकों के जीवन मे आने वाली विभिन्न चुनौतियों का अध्ययन करता है। इस शोध मे सम्बन्धित आंकड़ों एवं तथ्यो का संकलन प्राथमिक स्त्रोंत के माध्यम से किया गया है।

गवड़े,संतोष भीवा (2015): यह शोध अध्ययन कौशल विकास को भारत में आर्थिक विकास का एक मुख्य बिन्दु मानता है। यद्यपि भारत ने जी-20 देशों की सदस्यता हासिल की है। इसके बावजूद भी मानव विकास सूचकांक में यह निम्न स्तर पर है। प्रस्तुत अध्ययन से यह पता चलता है कि देश मे शैक्षिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 7.6 प्रतिशत ही साझा करता है। इस अध्ययन से यह पता चलता है देश का 7.6 प्रतिशत जनसंख्या युवा आयु समूह में है।

इस प्रकार युवाओं को शैक्षिक निवेश के माध्यम से भारतीय युवाओं में कौशल विकास एवं तकनीकी ज्ञान को बढ़ाकर रोजगार उन्हें प्राप्त करने योग्य बनाना है। यह अध्ययन कौशल विकास योजना की संचालन समीतियों के बारे में बताता है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद एवं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया है।

कुमार, रजेश (2017): यह अध्ययन बिहार में कौशल विकास के मुद्दों एवं चुनौतियों एवं व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से वर्तमान कौशल रणनीतियों का अध्ययन करता है। यह शोध अध्ययन बिहार के युवाओं की वर्तमान शिक्षा, कौशल विकास और युवा रोजगार सम्बन्धी चुनौतियों का वर्णनात्मक आधार पर द्वितीयक स्तर के माध्यम से अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त अध्ययन की समीक्षा से यह ज्ञात होता है। बिहार में 15–29 साल के बीच 0.3 प्रतिशत युवा ही औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त है। एवं अन्य 3 प्रतिशत युवा ही किसी प्रकार की भी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं जबकि बिहार में शिक्षा का स्तर अत्यन्त निम्न है। जिनमें से 66 प्रतिशत ही लोगो ने किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं प्राप्त की है। इसी प्रकार 72.4 प्रतिशत छात्र अपनी शिक्षा मध्य में ही छोड़ देते हैं। जबकि बिहार में छात्र नामांकन संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है। वही स्कूल छोड़ने की दर में अभी भी अधिकता है। अतः स्पष्ट है बिहार में निम्न साक्षरता दर के कारण युवाओं को कौशल प्रशिक्षित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

वर्मा,भावना (2015): यह अध्ययन ग्रामीण महिलाओं में कौशल विकास एवं उद्यमिता की चुनौतियों के बारे में चर्चा करता है। यह अध्ययन द्वितीयक स्त्रोंत के माध्यम से भारत में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति एवं उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा करता है। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन ग्रामीण उद्यमी महिलाओं की वर्तमान समस्याओं एवं उनमें कौशल विकास की आवश्यकताओं के बारे में बताता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है आज ग्रामीण महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। समाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जिससे उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास हो रहा है। साथ ही उनमें तकनीकी क्षमता के विकास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है ग्रामीण महिलाएं उन क्षेत्रों में भी व्यवसाय कर सकती हैं जिनमें उन्हें उचित कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जैसे— ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता क्षेत्र के अर्न्तगत कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प बनाने आदि में कौशल विकास द्वारा उन्हें उद्यमी बनाया जा सकता है।

अध्ययन की समस्या

वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास योजना द्वारा बड़े स्तर पर युवा कौशल विकास की ओर तो ध्यान दिया जा रहा है। जबकि आज भी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी युवाओं को उनकी इच्छानुसार रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। यह अभी भी एक समस्या का विषय है। समान्यतः यह देखा गया है कि कौशल विकास द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तो प्रदान किया जा रहा है। परन्तु जिस प्रकार का कौशल

प्रशिक्षण युवाओं को प्रदान किया जा रहा है। उसमे रोजगार योग्य आवश्यक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की कमी है। जिससे युवा रोजगार के लिए निम्न स्तर पर तैयार हो पा रहे हैं। अनेक शोध अध्ययनो मे यह देखा गया है कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र मे जो प्रशिक्षणकर्ता रखे जा रहे हैं। वह कौशल प्रशिक्षण पाठयक्रम के अनुसार प्रशिक्षित नहीं हैं। जिसके कारण युवा रोजगार योग्य उचित कौशल प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यह समस्या ज्यादातर राज्यों मे देखने को मिलती है।

इसके अतिरिक्त युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के समय कौशल प्रशिक्षण प्रयोगात्मक सुविधाएँ भी उचित प्रकार से नहीं उपलब्ध करायी जा रही हैं। आज ज्यादातर शहरी युवा अपनी निम्न आर्थिक स्थिति के कारण अपनी शिक्षा मध्य मे ही छोड़ देते हैं या अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते हैं। अतः उन्हे उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने मे कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों मे प्रशिक्षण की निम्न गुणवत्ता, युवाओं मे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमो के प्रति जागरूकता का अभाव, युवाओं की निम्न परिवारिक स्थिति तथा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों मे प्रशिक्षण संसाधनों की कमी युवा रोजगार को प्रभावित कर रही है। अतः इन सभी समस्याओं का अध्ययन करना आवश्यक है। जिससे यह ज्ञात हो सके कि कौशल प्रशिक्षण के बाद भी युवाओं को रोजगार प्राप्त करने मे किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रथम उद्देश्य कौशल विकास नीति (2009) तथा संशोधित कौशल विकास नीति (2015) का अध्ययन करना है।
2. अध्ययन का दूसरा उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त शहरी क्षेत्र के युवाओं की सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना है।
3. अध्ययन का अंतिम उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शहरी युवाओं पर इसके प्रभावों का अध्ययन करना है।

शोध अध्ययन पद्धति एवं क्षेत्र

प्रस्तावित शोध अध्ययन राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009 तथा 2015) एवं युवाओं पर इसका प्रभाव: लखनऊ शहर के दो चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्ययन पर आधारित है। इसके अर्न्तगत उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद के दो जोनो क्रमशः आलमबाग जोन-5 तथा अलीगंज पुरनिया जोन-3 को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। जिसके अर्न्तगत दोनो जोनो से क्रमशः 110 उत्तरदाताओं को शोध अध्ययन स्वरूप चयनित किया गया है। अध्ययन स्वरूप प्रत्येक जोन से क्रमशः एक-एक कौशल विकास संस्थाओं से 47 तथा दूसरी कौशल विकास संस्था से 63 उत्तरदाताओं को अध्ययन स्वरूप चयनित गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जोन से एक कौशल विकास संस्था से 3 कौशल विकास पाठ्यक्रमों के अर्न्तगत 47 तथा दूसरी कौशल संस्था से 63 विद्यार्थियों को शोध अध्ययन के लिए चयनित किया गया है। चयनित किए गए कौशल विकास पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नवत है। आलमबाग जोन-5 महिन्द्रा उत्तर प्रदेश कौशल विकास

मिशन चयनित पाठ्यक्रम क्रमशः सेल्फ इम्पलॉयड टेलर तथा इलेक्ट्रीशियन तथा टेली इसके अतिरिक्त अलीगंज जोन-3 प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र चयनित पाठ्यक्रम क्रमशः कस्टमर केयर एक्जुकेटिव,टेलीकॉम एण्ड स्टोर प्रमोटर, मोबाइल रिपेयर इंजीनियरिंग, पाठ्यक्रमों को शोध अध्ययन के लिए चयनित किया गया है।

शोध अध्ययन प्रवधि

प्रस्तावित शोध अध्ययन में शोध अध्ययन स्वरूप गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनो प्रवृत्तियों को सम्मिलित किया गया है। जिसके अर्न्तगत प्राथमिक स्रोतो के माध्यम से तथ्यों का संकलन वैज्ञानिक विधि द्वारा किया गया है। जिसमे सर्वेक्षण, समूह परिचर्चा गहन साक्षात्कार पद्धतियों को सम्मीलित किया गया है।

इसके अतिरिक्त द्वितीयक स्रोत के अर्न्तगत विभिन्न युवा कौशल सम्बन्धी आँकडे एवं नीतियाँ इसके अतिरिक्त मानव विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से शोध अध्ययन सम्बन्धी सूचनाओं का संकलन जस्टोर, इंडियन एवं एशियन जनरल के माध्यम से शोध सम्बन्धी आँकडो का संकलन किया गया है।

शोध प्रारूप

प्रस्तावित शोध अध्ययन में शोध अध्ययन स्वरूप शोधकर्ता द्वारा वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया है। जिसके अर्न्तगत शोधकर्ता द्वारा उपलब्ध युवा कौशल सम्बन्धी आँकडो एवं नीतियों के आधार पर आँकडों का वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

जिसके अर्न्तगत उद्देश्यो का निर्धारण, तथ्यों का संकलन एवं परिणामों का विश्लेषण तथा अंतिम स्तर पर प्रस्तुतिकरण किया गया है।

तथ्य संकलन स्रोत

प्रस्तावित शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनो प्रकार के स्रोतो का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतो के रूप में सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रतिवेदनो विभिन्न शोध सम्बन्धी आलेख शोध विषय से सम्बन्धित सामग्री का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्रोत के रूप में अध्ययन क्षेत्र से चयनित उत्तरदाताओं के आधार पर शोध विषय से सम्बन्धित सूचना एवं ऑकड़ो के आधार पर शोध सम्बन्धी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा लखनऊ जनपद के दो नगरीय क्षेत्रों आलमबाग जोन-5 तथा अलीगंज जोन-3 के अर्न्तगत स्थित प्रत्येक एक-एक युवा कौशल सम्बन्धी संस्था को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर उत्तरदाताओं का चयन संस्थाओं के अर्न्तगत किया गया है। शोधकर्ता द्वारा तथ्यों का संकलन युवक एवं युवतियों के साक्षात्कार के माध्यम से किया गया है। शोध अध्ययन में शोध प्रवधि के रूप में दैव निर्दर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। शोधकर्ता द्वारा तथ्यों के संकलन हेतु सर्वेक्षण, एवं अवलोकन विधियों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त शोधकर्ता द्वारा तथ्यों एवं ऑकड़ो के संकलन हेतु अर्धसंरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

प्रतिदर्श आकार के चयन का सारणीयन एवं स्पष्टीकरण

प्रस्तावित शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचना को संकलित कर सम्पादन प्रक्रिया के माध्यम से समस्त सूचनाओं एवं आंकड़ों को संकलित कर लिया गया है। संकलित एवं सम्पादित सूचना का वर्गीकरण कर इन्हें श्रेणीबद्ध एवं सूचीबद्ध किया गया है। समस्त संकलित सूचनाओं एवं आँकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय एवं तार्किक आधार (SPSS) प्रणाली के माध्यम से किया गया है। तथा आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर वर्णनात्मक रूप से प्रतिवेदन आलेख तथा अध्ययन प्राप्तियों के आधार पर उपयोगी सुझावों को भी प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय योजना

1. प्रस्तावना
2. राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009 तथा 2015)
3. शहरी युवाओं की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति
4. राष्ट्रीय कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थिति
5. राष्ट्रीय कौशल विकास प्रशिक्षण का युवाओं पर प्रभाव
6. निष्कर्ष एवं सुझाव

भारत देश युवाओं के देश के नाम से जाना जाता है। जहाँ की 62 प्रतिशत जनसंख्या (15–59) एवं 54 प्रतिशत जनसंख्या 25 की उम्र के नीचे कार्यशील युवा जनसंख्या के रूप में जानी जाती है। कौशल प्रभाव रिपोर्ट,(2016–17) कौशल ओर ज्ञान किसी भी देश एवं समाज के विकास के लिए अति आवश्यक है अतः देश में मौजूद युवा जनसंख्या का लाभ लेने के लिए देश के युवाओं को उचित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है। जिससे युवा देश के विकास में सहयोग कर प्रदान कर सकें। देश की आधी से ज्यादा (22.5) प्रतिशत जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रही है। इसके अतिरिक्त आज भी अधिकांश युवा जो सीमांत क्षेत्रों में निवास करते हैं। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से वंचित हैं। अतः कौशल विकास नीति समाज के इन वंचित समूहों के समग्र विकास पर आधारित है।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए समाज के उन सभी लोगों को कौशल शिक्षा प्रदान करना आवश्यक हो गया है जो बदलते अद्यौगिक युग में स्नातक होने के बाद भी बेराजगार हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009) की शुरुआत की गई। साथ ही प्रस्तुत नीति को प्रत्येक पाँच साल बाद संसोधित करने का भी प्रस्ताव रखा गया। संसोधन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास नीति एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कौशल नीति (2015) की शुरुआत में की गई जिसका उद्देश्य तेजी से एवं अधिक से अधिक कौशल लक्ष्यों को प्राप्त करना है। प्रस्तुत राष्ट्रीय कौशल विकास नीति उच्च स्तर के कौशल प्रशिक्षण


पाठ्यक्रम द्वारा कम समय में युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।

2.1 राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009 तथा 2015)

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय कौशल विकास योजना की एक संचालन समिति है। जिसे कौशल विकास योजना के सभी कार्यों के संचालन को ध्यान में रखते हुए नवंबर 2014 में स्थापित किया गया। इस मंत्रालय के संचालन का उद्देश्य देश में कौशल एवं रोजगार के बीच उपस्थित अन्तर को कम करके युवाओं को तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय अपने 'कौशल भारत' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वृहद स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम के गुणवत्तापूर्ण मानकों के अनुसार युवाओं को कौशल शिक्षा प्रदान करती है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत कौशल प्रशिक्षण के सहयोगी मंत्रालय के रूप में राष्ट्रीय कौशल विकास एंजसी (NSDA), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (NSDF) के द्वारा कुल 33 क्षेत्र कौशल परिषदों (SSCs) द्वारा 187 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के अर्न्तगत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है साथ ही अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर भी कौशल मंत्रालय को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में तीन एंजेसियों के द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इसका गठन हुआ है।

1. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDA)
2. राष्ट्रीय कौशल विकास मंत्रालय (NSDC)
3. प्रशिक्षण का महानिदेशालय (DGT)

कौशल विकास संरचना प्रणाली



2.2 राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के उद्देश्य

1. सभी वंचित समूहों में विशेषकर युवा महिलाओं, पुरुषों में कौशल के अवसर उपलब्ध कराना ।
2. सभी जरूरतमंद लोगों में कौशल विकास की पहल के लिए प्रतियोगिता को बढ़ावा देना ।
3. वर्तमान में तेजी से बदलती श्रम बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर उपयागी एवं उच्च गुणवत्ता वाले कुशल युवा उद्यमी विकसित करना ।
4. युवाओं में कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण के साथ कौशल मौद्रिक पुरस्कार एवं प्रमाणन प्रदान करना ।
5. लगभग 24 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा 1500 करोड़ रुपये का कौशल वित्त उपलब्ध कराना ।
6. युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनको रोजगार योग्य बनाना जिससे वे अपनी जीविका सुनिश्चित कर सकें ।
7. युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु कौशल प्रमाणन उपलब्ध कराना ।

2.3 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक फलैगशिप योजना है। प्रधानमंत्री कौशल योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग सम्बन्धी कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन

सके। प्रस्तुत योजना के अर्न्तगत यह भी ध्यान रखा गया कि जो व्यक्ति पहले से किसी विशेष प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा या कौशल प्राप्त किए हुए हैं उनके कौशल एवं शिक्षा का भी कौशल प्रशिक्षण के पूर्व मूल्यांकन एवं प्रमाणन किया जायेगा। प्रधानमंत्री कौशल योजना के द्वारा युवाओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिससे युवाओं को बेहतर रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, (2015)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा वंचित समुहों एवं युवाओं की कौशल शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है जिससे उनके सामाजिक, आर्थिक जीवन को बेहतर बनाया जा सके। युवा कौशल योजना के तहत किशोर न्याय बोर्ड योजना की पहल द्वारा युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार के कई नये अवसर खोजे जा रहे हैं। इस योजना के अर्न्तगत वंचित और गरीब युवाओं की मदद करने एवं उन्हें मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से विभिन्न पुलिस स्टेशनों और आश्रय घरों में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा दिवस के अवसर पर की गई। कौशल विकास रिपोर्ट, (2017-18)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2016-2020) को राज्य स्तर के साथ साथ केन्द्रीय स्तर पर भी शुरू किया गया है। जिसके अर्न्तगत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन दो घटकों के माध्यम से किया जा रहा है।

1. केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (CSSM)
2. केंद्र प्रायोजित केन्द्रीय प्रबंधित (CSCM)

केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राष्ट्रीय कौशल विकास योग्यता (NSQF) से जुड़ी हुई योजना है। जिसके द्वारा सभी राज्यों को राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण योग्यता के अर्न्तगत ही रोजगार योग्य आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। योजना के अर्न्तगत मुख्य रूप से स्थानीय, परम्परिक कला और शिल्प का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) राज्य के सभी कौशल मंत्रालयों द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध करा रहा है। 31 मार्च 2018 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश के 35 राज्यों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दे दी गई है।

केंद्र प्रयोजित केन्द्रीय प्रबंधित

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के घटक केंद्र प्रयोजित केन्द्रीय प्रबंधित का संचालन कौशल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा कौशल प्रशिक्षण के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर युवाओं को रोजगार योग्य आवश्यक कौशल शिक्षा प्रदान की जायेगी। तथा कौशल विकास द्वारा रोजगार के अवसर को कौशल प्रशिक्षण के तरीको में सुधार द्वारा वर्ष (2017-18) के अर्न्तगत प्रधानमंत्री कौशल

विकास योजना को केंद्र प्रयोजित केन्द्रीय प्रबंधित घटक के साथ मिलाकर इसे 35 से अधिक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू करने की सहमति जताई गई है। राज्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना विभिन्न कौशल मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। यह योजना राज्य के साथ मिलकर तथा केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त करके राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा 19 राज्यों में सफलता पूर्वक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य कर रही है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं गुणवत्ता में वृद्धि

- प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रॉपटप आधारित प्रवेशद्वार केंद्र द्वारा मायन्ता एवं सम्बन्धता के आधार पर विकसित किया गया है। वहाँ सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को अपने प्रशिक्षण केंद्र का विवरण और केंद्र की मान्यता प्राप्त सम्बन्धता को विवरण देना अनिवार्य है।
- देश भर के प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता प्राप्त मानको के अनुसार कौशल ग्रेडिंग से जोड़ा गया है।
- प्रत्येक कौशल केंद्र को अपनी प्रशिक्षण गुणवत्ता के अनुसार वित्त उपलब्ध करवाया जायेगा यह वित्त सिर्फ एक वर्ष के लिए ही प्रत्येक कौशल केंद्र को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कौशल वित्त प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकताओं एवं कौशल प्रशिक्षण केंद्र की सम्बन्धित मान्यता के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

- आधार कार्ड सम्बन्धित सभी कौशल प्रशिक्षित युवाओं के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने की सुविधा प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण केंद्र को उपलब्ध करवायी जा रही है।
- कौशल प्रशिक्षण (टी.सी.एस.) के माध्यम से उद्योगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कर्त्ताओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में निष्पक्ष और एक समान कौशल मूल्यांकन के लिए अवलोकनकर्ता ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है।

केंद्रीय प्रयोजित केंद्रीय प्रबंधित घटक (CSCM)

1. कम समयअवधि कौशल प्रशिक्षण

कम समयअवधि कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के द्वारा ऐसे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जो स्कूल कॉलेज मध्य में छोड़ चुके हो अथवा बेरोजगार हो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल योग्यता नियमों के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है तथा कौशल प्रशिक्षण दाता द्वारा सॉफ्ट स्किल्स, उद्यमशीलता वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता में भी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करावाया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण की समयअवधि पाठयक्रम अनुसार होगी। कौशल प्रशिक्षण पूरा होने के उपरान्त उन्हें प्रशिक्षण भागीदारी के अनुसार (टी.पी.) के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। वार्षिक रिपोर्ट, (2017–18)

2.पूर्व शिक्षण मान्यता

यदि कोई छात्र पहले से किसी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त किए हुए है। प्रशिक्षण पूर्व उसका भी मुल्यांकन किया जायेगा। पूर्व शिक्षा की पहचान का उद्देश्य (आर0पी0एल0) प्रशिक्षणकर्ता में मौजूद पूर्व कौशल को राष्ट्रीय कौशल योग्यता के अनुसार पहचाना जाना है।

विशेष परियोजनाएँ

प्रधानमंत्री कौशल योजना द्वारा ऐसी योजना को कार्यान्वयन किया जा रहा है जो कि विशेष क्षेत्रों में सरकारी संस्थाओं, कॉर्पोरेट क्षेत्र में तथा उद्योगों में भी सुविधाजनक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगी। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण कौशल के निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही विशेष रोजगार के लिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना विशेषताएँ

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल भारत, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तथा प्रधानमंत्री बीमा योजना को एक साथ मिलकर कार्य कर रही है। कौशल प्रशिक्षण के अर्न्तगत निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है।

1.रोजगार प्राप्ति अवसर (प्लेसमेंट)

समाज में ज्यादातर युवा व्यवसायिक शिक्षा की कमी तथा युवा रोजगार हेतु जरूरी तकनीकी प्रशिक्षण की कमी एवं कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी

चुनौतियों के कारण रोजगार प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। समाज में मौजूद कौशल प्रशिक्षण की कमी को प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण द्वारा पूरा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे युवा रोजगार में वृद्धि हो सके। प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण द्वारा युवाओं को रोजगार प्राप्ति का लक्ष्य 70 प्रतिशत तक रखा गया है। इसके अतिरिक्त युवाओं में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल मूद्रा ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह ऋण युवाओं की कौशल प्राप्ति में मदद करेगा। तथा कौशल प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों में अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, परिधान (वस्त्र) दूरसंचार (टेलीकॉम) हथकरघा एवं सुरक्षा (सिक्योरिटी) श्रंगार और आरोग्यता, कृषि सेवाएँ आदि शामिल हैं। साथ ही नेशनल कॉरियर सर्विस पोर्टल (एन0सी0एस0पी0), रोजगार एक्सचेंज, आई.एस जॉब पोर्टलों, मॉडल कॉरियर केन्द्रों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर युवा रोजगार सम्बन्धी एकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिससे कौशल माँग और आपूर्ति के बीच संतुलन लाया जा सके।
वार्षिक रिपोर्ट (2017-18)

2. कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की निगरानी

प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के अर्न्तगत निगरानी का मुख्य कार्य प्रशिक्षण केन्द्रों तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं प्रशिक्षण कर्ताओं की जरूरतों का पता लगाना है। जिससे प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। कौशल विकास द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त

कर रहे छात्रों को बड़ी संख्या को संदेश पहुंचाने के लिए आई0वी0आर0 ओबीडी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्रों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए सनेपाइपर नामक निगरानी ऐप भी तैयार किया गया है जिससे इस ऐप के द्वारा कौशल निगरानी समूहों द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। केंद्रीय स्तर पर दोषी केन्द्रों की करवाई करने के लिए एक आंतरिक मॉनीटरिंग समिति (आई0एम0सी) और पी0एम0के0वाई0 का गठन किया गया है। जिससे दोषी केन्द्रों के खिलाफ कारवाई करना आसान हो सके।

3. आधारकार्ड आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (आई.बी.एस)

कौशल योजना की एक विशेषता कौशल केन्द्रों में विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति है। जब भी विद्यार्थी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं। उन्हें बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य रखा गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहली ऐसी योजना है जहाँ विद्यार्थी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। कौशल प्रशिक्षण दिशा-निर्देशों के अनुसार कौशल संस्था में 70 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। वर्तमान में 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी कौशल प्रशिक्षण केंद्र में पंजीकृत हैं।

4. कौशल मेले तथा रोजगार मेले

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति को सफल बनाने के लिए सामाजिक स्तर पर युवाओं का भागीदारी आवश्यक है। कौशल मेले द्वारा युवाओं को

विभिन्न प्रकार के रोजगार एवं स्वरोजगार के लिय जागरूक किया जा रहा है। अब तक देश में 1400 से अधिक रोजगार मेले आयोजित किया जा चुके हैं। रोजगार मेला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की एक प्रमुख पहल है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा 20 से अधिक क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जिनमें पिज्जा हट, मिन्त्रा, पी0वी0आर0 सिनेमा, बाटा इण्डिया होंडा मोटर साइकिल एवं स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड आदि क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

5. अंतराष्ट्रीय कौशल केंद्र

सरकार देश में मौजूद युवा श्रम शक्ति की कमी को पुरा करने के लिए एवं युवा जनसंख्या का लाभ लेने का पूर्णतया प्रयास कर रही है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कौशल केन्द्रों की स्थापना की गई है। देश में अंतराष्ट्रीय स्तर कौशल केन्द्रों द्वारा युवाओं को विदेश में कार्य करने की योग्यता को ध्यान में रखकर कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके अर्न्तगत कौशल केन्द्रों द्वारा अंतराष्ट्रीय स्तर कौशल दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रयोगशाला उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का मुल्यांकन अंतराष्ट्रीय पुरस्कृत निकाय द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, (2016-2020)

6. प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र

कौशल भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रत्येक स्थान पर कौशल केन्द्र की स्थापना की गई है। जिन्हें प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र के नाम से जाना जाता है। इन कौशल केन्द्रों का निर्माण कौशल प्रशिक्षण के दिशा निर्देशों, मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल मंत्रालयों द्वारा 70 लाख तक वित्तीय ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

- प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र 3000–8000 वर्ग किमी⁰ की जनसंख्या के क्षेत्रफल के आधार स्थापित किये गए हैं।
- कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बाह्य तथा अंतरिक बांडिंग संरचना के आधार पर स्थापित किया गया है।
- स्थानीय युवाओं की इच्छा अनुरूप कौशल पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है।
- सभी प्रकार की कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में श्रव्य, दृश्य समग्री का उपयोग तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक कर दिया गया है।
- कौशल संगोष्ठियों का समय-समय पर आयोजन एवं व्याख्याएँ।
- किसी भी प्रकार की कौशल प्रशिक्षण समस्या के लिए विशेष सलाहकेन्द्र स्थापित किए गए हैं।

महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा

महिलाओं को रोजगार क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए महिलाओं में कौशल प्रशिक्षण एवं उद्यमिता के अवसरों का विकास किया जा रहा है। त्रिपुरा जयपुर टाटा प्रतिष्ठान जो कि राजस्थान में है वहाँ की ब्रूजन-जनजाति में कम समयअवधि कौशल प्रशिक्षण एवं आर0पी0एल0 योजनाओं के तहत महिलाओं के कौशल विकास द्वारा सरकार अपने कौशल विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है।

महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु एक प्रायोगिक योजना 'संभवी' शुरू की गई है जिसका लक्ष्य जो महिलाएं झुग्गी-झोपड़ी में रहती हैं। उनमें कौशल का विकास करना है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अमेजॉन की "मेरी सहेली" योजना तथा नागालैंड राज्य की सरकार के साथ मिलकर अमेजॉन पर एक कार्यशाला चलाई जा रही है। जिससे युवा महिला उद्यमियों को कौशल प्रशिक्षित किया जा सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

(2016-2020)

कौशल प्रशिक्षण प्रयोगात्मक संसाधन

1. कौशल प्रशासन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन (SMART)

कौशल प्रशासन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन (स्मार्ट) सूचना पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इस पहल का लक्ष्य कौशल एकीकृत पद्धति के तहत सभी कौशल हितधारकों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करना है। योजना का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के कौशल प्रदाताओं का मूल्यांकन करना, कौशल प्रशिक्षण उपकरणों की मांग को पूरा करना तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी विकल्पों को व्यवस्थित रूप से अपनाने पर जोर देना है।

2. कौशल विकास संचालन पद्धति (एस.डी.एस.एस)

कौशल विकास संचालन पद्धति एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग मंच है, जो कि कौशल कार्यक्रम से जुड़े सभी मिशन से जुड़े हुए सभी लोगों को एम0आई0एस0 पद्धति से जोड़ती है। एम0आई0एस0 पी0एम0के0वाई0 को एक विश्वसनीय एवं सुनियोजित सॉफ्टवेयर प्रदान करके कौशल प्रशिक्षण को सहयोग प्रदान करती है ताकि वह योजना के दिशा-निर्देशों को समायोजित कर कौशल शिक्षा प्रदान कर सके। डी.एम.एस. ऐप का प्रयोग कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की पहचान एवं कौशल योजना से जुड़े सभी प्रशिक्षण कर्ताओं की पहचान के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2016-2020)

3. कौशल ई-पुस्तकालय

कौशल-ई-पुस्तकालय एक एंड्रायडऐप है। जो कि कौशल प्राप्त करने वाले छात्रों एवं कौशल शिक्षा की तालाश करने वाले छात्रों को सहयोग

प्रदान करता है। इस ऐप द्वारा छात्रों को आसानी से डिजिटल किताबों को पढ़ने में सुविधा प्राप्त होती है।

- यह छात्रों को सुविधाजनक रूप से किसी भी जगह पढ़ने हेतु ई0 कौशल सामग्री उपलब्ध होती है।
- डिजिटल पुस्तकों को पढ़ने में प्रभावी व सुगम होती हैं।
- ई0 शिक्षा, वेब आधारित प्रशिक्षण एवं दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिलता है।

2.4 उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना (UPSDM)

भारत देश विश्व के उन देशों में से एक है जहाँ ज्यादातर युवा शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार हैं। विश्व बैंक के अनुसार, यह आँकड़ा 2040 तक कम से कम तीन दशकों तक ऐसा ही बना रहेगा। आज के समय में भारत के पास प्रशिक्षित युवाओं की संख्या बहुत ही कम 8.0 (जनगणना 2011) प्रतिशत है। आने वाले समय में श्रम बाजार के अनुसार युवाओं को कौशल शिक्षा प्राप्त करने के निम्न अवसर उपलब्ध होंगे जबकि श्रम बाजार में प्रत्येक वर्ष 12.8 लाख युवा ही रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। जबकि देश में मौजूद कौशल क्षमता का प्रतिशत 3.1 मिलियन प्रतिवर्ष है। उपलब्ध आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है। अधिकतम 21.6 लाख युवाओं में से 12 लाख युवा ही अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। उनमें से 5 लाख युवा ही उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश ले पाते हैं। व्यवसायिक शिक्षा को लेकर आज भी देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा

है। अन्य देशों के तुलना में भारतीय स्कूल में व्यवसायिक शैक्षिक अनुपात अत्यन्त न्यूनतम (15.6 प्रतिशत) है। अखिल भारतीय सर्वेक्षण, (2015–16) उत्तर प्रदेश युवा आबादी का सर्वधिक जनसंख्या वाला देश है। देश में कौशल गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणकर्ता की कमी को देखते हुए। एवं देश में बड़ी संख्या में उपलब्ध युवाओं की संख्या को देखते हुए यह असम्भव सा प्रतीत होता है।

वर्तमान में देश को युवा रोजगार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसका कारण शैक्षिक स्तर पर प्रशिक्षण की निम्न गुणवत्ता, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं का अभाव तथा योग्य अध्यापकों की अनुपस्थिति है। अनौपचारिक और परम्पारिक शिक्षण संस्थाओं में कौशल प्रशिक्षण की सुविधाओं की उपलब्धता अत्यन्त निम्न है तथा उच्च कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं की कम लागत तथा निम्न साक्षरता निजी क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति रुचि को कम करती है। राष्ट्रीय स्तर इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास निगम द्वारा त्रिस्तरीय संरचना के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (2011) की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना (2011) में की गई। जिससे उत्तर प्रदेश के शिक्षित अशिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश कौशल विकास, (2013)

उत्तर प्रदेश कौशल मिशन लक्ष्य

- सभी समूहों के लिए विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और वंचित समूहों के लिए। समान रूप से कौशल प्राप्ति के अवसर उपलब्ध करवाना।
- सभी कौशल प्राप्ति हेतु इच्छुक कौशल उम्मीदवारों को कौशल विकास द्वारा प्रशिक्षण लिए प्रेरित करना।
- श्रम बाजार की जरूरतों के अनुसार उच्च कोटि के कौशल प्रशिक्षण के लिए युवाओं को प्रेरित करना।
- सुलभ प्रकार के कौशल प्रशिक्षण तंत्र को विकसित करना जो कौशल हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल हो सके।

नीति का विस्तृत क्षेत्र

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है।

- संस्थागत स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम को विभिन्न आई.टी.आई आई.टी.सी. और व्यवसायिक स्कूलों, तकनीक स्कूल पॉलिटेक्निक एवं व्यवसायिक कॉलेजों को एक साथ जोड़ा गया है।
- कौशल विकास मिशन की पहल को विभिन्न कौशल मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
- औपचारिक, अनौपचारिक प्रशिक्षुता प्रशिक्षण एवं अन्य प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षित उद्यमियों का विकास करना।
- प्रत्येक जिले में दो पद कौशल विकास मिशन के तहत करियर काउंसलर के चुने जाते हैं।

- ब्लॉक अधिकारी (कौशल विकास) और राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के तहत रखे गये ब्लॉक अधिकारी की देखरेख में ब्लॉक स्तर पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के लिए कार्य करेंगी।
- शहरी क्षेत्रों में डूडा कार्यक्रम के तहत कार्य करने वाले सामूदायिक विकास कार्यवाही (सीडीएस) के द्वारा कौशल विकास के एकीकरण का कार्य किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश कौशल मिशन संरचना

कौशल विकास की त्रिस्तरीय संरचना के तहत राज्य स्तर पर कौशल विकास मिशन की शुरुआत की गई है।

- **कौशल विकास एवं राष्ट्रीय परिषद (NSDA)** यह कौशल मंत्रालय उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रधानमंत्री तथा विभिन्न कौशल मंत्रालय के मंत्रियों को एक साथ लाती है।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (NCSD)** राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड को राष्ट्रीय कौशल विकास के उप अध्यक्ष की अध्यक्षता में सहायता प्रदान की जाती है। जो सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम को एक साथ जोड़ती है।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)** भारत में कौशल विकास निगम कौशल विकास की सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई गैर-लाभकारी संस्था है। इसका उद्देश्य कौशल संस्थानों की प्रशिक्षण

गुणवत्ता को ध्यान में रखकर कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, (2013)

उत्तर प्रदेश कौशल विकास स्थिति

वैश्वीकरण के दौर में युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों एवं रोजगार प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जबकि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन इण्टर पास युवाओं को भी बेहतर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके अच्छा रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना का गठन जुलाई 2011 किया गया। योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेहतर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य तैयार करना है। जिससे युवा बेरोजगारी को कम किया जा सके।

राज्य के बड़े स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार आई.टी.आई. पॉलिटेक्निक्स डिग्री कालेजों में कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार यह देखा गया लगभग 20 लाख युवाओं ने ही 5वीं व 6वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। वहीं इसके अतिरिक्त 10 लाख युवा 8वीं व 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते हैं। इस प्रकार 20 से 25 लाख युवा प्रत्येक वर्ष श्रम बाजार में योगदान देने के लिए तैयार होते हैं। इसके चलते युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

कौशल विकास द्वारा तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ से अधिक है। जो भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या का छठवाँ भाग है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1500 आई.टी. आई. तथा आई.टी.सी. है जिनमें 180000 छात्र कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में 330 सरकारी तथा निजी पॉलीटेक्निक संस्थान हैं। जिसका वार्षिक खर्च 97000 है। इन सभी व्यवसायिक संस्थानों द्वारा औपचारिक एवं व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से 18 से 23 वर्ष के 4.5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। विभिन्न आई.टी. आई.,आई.टी.सी. एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में महिलाओं की कम सहभागिता चिन्ता का विषय है। औपचारिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कौशल विकास के कुछ समस्याओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अधिकतर छात्र-छात्राओं में प्राइवेट आई.टी.आई. पॉलीटेक्निक और डिग्री कॉलेजों में प्रवेश का प्रतिशत अत्यन्त निम्नतम 60 प्रतिशत रहा है। इसके कई कारण देखे गये हैं। जैसे-ज्यादातर निजी कौशल प्रशिक्षण संस्थान जल्दी ही बने हैं तो उन्हें मान्यता नहीं प्राप्त है। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। जिसके कारण युवा रोजगार के अवसर आज बहुत कम हो गये हैं। कौशल प्रशिक्षण संस्थानों ने बड़ी संख्या में एम.बी.ए.,पी.जी.डी.सी. और एमबीए डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2016-2020)

आज जिस प्रकार की शिक्षा युवाओं को प्रदान करायी जा रही है उसमें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की कमी है। यह देखा गया है कि 30 प्रतिशत स्नातक

जिन्होंने आई.टी.आई. पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्राप्त किया हैं। वे ही अच्छा रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। समय की माँग को देखते हुए व्यवसायिक क्षेत्रों की विषमता को दूर करने के लिए युवाओं तक कौशल प्रशिक्षण की पहुँच को सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना, (2013)

प्रशिक्षुता अधिनियम के तहत कौशल विकास (Apprenticeship Act 1956)

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के लिए 20,000 सीटे उपलब्ध करायी जाती है। अतः सरकार का लक्ष्य उपलब्ध सीटों का अधिक से अधिक उपयोग करना है। देश में उपलब्ध कौशल क्षमता को बढ़ाने के लिए इसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न कारखानों, कम्पनीयों एवं कार्यालयों से जोड़ा जा रहा है।

केंद्रीय स्तर पर कौशल विकास नीति

कौशल विकास प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त वित्त कौशल विकास के विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कौशल विकास दो मंत्रालयों के अधीन कार्य करता है।

शहरी कौशल विकास

स्वर्ण जयंती शहरी बेरोजगार योजना का विकास शहरी कौशल विकास के अन्तर्गत किया गया है। वर्ष 2012-13 के लिए शहरी गरीबों के बीच रोजगार

उपलब्ध कराने के लिए कौशल प्रशिक्षण लक्ष्य के तहत 12,500 के कुल लक्ष्य में से 10,000 प्रति व्यक्ति कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत 10,00,000 से ऊपर की आबादी वाले शहरों में एक कौशल परियोजना अधिकारी (पी.ओ.) होता है। जिन्हे एक या एक से अधिक सहायक परियोजना अधिकारियों (ए.पी.ओ.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में, स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना की सभी गतिविधियों का कार्यान्वयन ए.पी.ओ. द्वारा किया जाता है।

वर्तमान में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। प्रस्तुत मिशन की निधियों का 40 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार प्रदान करने में सहायता प्रदान कर रहा है।

ग्रामीण कौशल विकास

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार के अवसरों सीधे कौशल प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जोड़ा गया है। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। अब तक कौशल नीति की 61 योजनाओं को अनुमति प्रदान की गई है। जबकि 17 नयी योजनाओं को अनुमति देने की तैयारी की जा रही है। इन सभी योजनाओं को जिलों में उचित प्रकार से प्रचार नहीं किया गया है। जिसके

कारण अब तक अनुमानन कौशल प्रशिक्षण क्षमता जो ग्रामीण युवाओं के लिए 120,715 निर्धारित की गई थी अनुमानित लक्ष्य से 85,562 लाख युवाओं को ही कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर पाई है।

कौशल प्रशिक्षण लक्ष्य समूह

- राष्ट्रीय कौशल विकास नीति बिना किसी असामनता के समाज के विभिन्न वंचित समूहों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित कर रही है जैसे—अल्पसंख्यक समूह अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष आरक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति के अन्तर्गत उन सभी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है जो कि 14–35 आयु वर्ग के हो तथा अठवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर चुके हो। साथ ही समाज के उन वंचित समूहों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया जो हाशिए पर हैं और कमजोर तबके के हैं। जिससे वे समाज में अपनी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें।
- समाज के उन युवाओं को वर्गों को भी कौशल प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया जो पहले से किसी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं जैसे—पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई.,आई.टी.सी आदि जिससे उनको कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार योग्य बनाया जा सके।
- कौशल कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के वंचित समूहों एस0सी0,एस0टी0 एवं अल्पसंख्यकों को कौशल प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

- एन.आर.एल.एम. एम.एस.डी.पी, बी.ओ.सी.डब्लू बी.ए.डी.पी., एस.सी.ए.एस. आदि योजनाओं के तहत विभिन्न आरक्षित वर्गों को कौशल विकास के तहत विशेष लाभ दिया जा रहा है। इन योजनाओं से उपलब्ध वित्त का प्रयोग न केवल युवा कौशल विकास के लिए बल्कि कौशल प्रशिक्षण समूह के लिए भी किया जा रहा है।
- कौशल नीति के द्वारा विशेष रूप से 40 प्रतिशत महिलाओं, 21 प्रतिशत एस.सी.,एस.टी. एवं 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक को राज्य के सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा कौशल में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

कौशल विकास कार्यक्रम रणनीतियाँ

- राज्य द्वारा युवाओं के कौशल विकास के लिए एक वृहद कौशल निकाय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की गयी है जो राज्य के सभी कौशल विभागों को एक साथ जोड़ती है।
- यह कौशल निकाय युवाओं के आर्थिक विकास में भी सहयोग प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना राज्य स्तर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।
- सरकारी आईटीआई पॉलीटेक्निक संस्थानों को बढ़ाकर विभिन्न कौशल संस्थाओं से कौशल प्रशिक्षण की विषमता को दूर करना।
- राज्य स्तर पर कौशल कार्यक्रम संचालन एवं कौशल प्रदाताओं की सभी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति करना तथा सभी सरकारी आई.टी. आई, आई.टी. में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना।

- निजी संस्थाओं को भागीदारी को बढ़ावा देना तथा सरकारी एवं निजी पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई. तथा तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- निजी कौशल संस्थाओं द्वारा युवाओं को अधिक से अधिक कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- सरकारी तथा निजी स्तर पर युवाओं की कौशल भागीदारी योजना को सफलता प्रदान करती है। निजी कौशल संस्थाओं को जिला स्तर पर युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। सरकार द्वारा युवाओं को उपयुक्त कौशल शुल्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
- कौशल विकास योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत राज्य स्तर पर 81 राष्ट्रीय कौशल विकास मंत्रालयों का योगदान मिल रहा है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास संरचना (UPSDM)

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन राज्य स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम की संचालन समिति है। जिसके अन्तर्गत सरकारी संचालन समिति, जिला और राज्य संचालन समिति जिला स्तर पर स्थापित की गई हैं।

राज्य स्तर पर राज्य कौशल कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एस0पी0एम0यू0) तथा जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डी0पी0एम0यू0) स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर कौशल प्रशिक्षण शुल्क प्रदान करने के लिए एक समिति बनायी गयी है। जिसके अन्तर्गत एक (एस0पी0एम0यू0) कौशल प्रशिक्षण सलाहकार भी रखा गया है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन संरचना का गठन निम्नलिखित इकाइयों के द्वारा किया गया है।

शासन परिषदीय कौशल इकाई

शासन परिषद कौशल विकास की मुख्य इकाई है। जो राज्य स्तर पर कौशल विकास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के पूरा करती है।

- राज्य स्तर पर कौशल विकास मिशन के अर्न्तगत कौशल प्रशिक्षण को दिशा निर्देश देना।
- कौशल विकास के लिए राज्य स्तर पर वार्षिक कौशल नीति के कार्यों पर विचार करना।
- प्रत्येक छः वर्ष में कौशल विकास कार्यक्रम की प्रगति स्वरूप समीक्षा करना।
- पिछले वर्ष की कौशल प्रगति लेखा परीक्षण की भी समीक्षा करना।

राज्य स्तर पर कौशल कार्यक्रम संचालन समिति

राज्य संचालन समिति के अर्न्तगत कौशल विकास की एक संचालन समिति होगी। जो राज्य संचालन समिति एवं शासन समिति के अर्न्तगत कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को दिशा निर्देश प्रदान करके युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण में वित्त सहायता उपलब्ध करवाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेगी।

- कौशल विकास मिशन के कार्यों को दिशा-निर्देश देने के लिए कौशल प्रशिक्षण के विभिन्न केन्द्रों में कौशल प्रशिक्षण की निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को समय-समय पर कौशल वित्त उपलब्ध कराना।

राज्य कौशल कार्यकारी समिति

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन राज्य की एक राज्य कार्यकारी समिति है। यह कार्यकारी समिति राज्य में कौशल कार्यक्रम संचालन के सभी कार्यों का कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य करेगी।

राज्य कौशल कार्यकारी समिति कार्य

- जिला स्तर पर कौशल योजना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करना तथा सभी कौशल हितधारकों द्वारा राज्य स्तर पर कौशल प्रगति की वर्ष में समीक्षा करना।
- कौशल पाठ्यक्रम का प्रमाणीकरण करना तथा इन पाठ्यक्रम को चलाने के लिए शुल्क उपलब्ध कराना।
- कौशल नीति की प्रगति की समीक्षा के लिए तीसरे महीने कौशल नीति का जाँच करना।

राज्य कौशल कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (SPMU)

- राज्य कौशल प्रबंधन इकाई के निगरानी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य कौशल मिशन द्वारा किया जायेगी।
- राज्य कौशल विकास योजना निर्देशक के द्वारा एक आई.एस. अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।
- राज्य प्रबंधन इकाई कौशल विकास के सभी कार्यों के संचालन और गतिविधियों के लिए वित्त उपलब्ध करायेगी।

राज्य कौशल प्रबंधन संरचना प्रणाली

1. वित्त एवं लेखा
2. व्यक्तिगत या प्रशासन सेल
3. आई.टी.एम.आई. एवं सेल
4. प्रशिक्षण सहयोगी सेल
5. एस0डी0आई स्कीम
6. सामाजिक स्थानान्तरण परामर्श सेल

2.5 लखनऊ जनपद में वर्तमान कौशल स्थिति

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देश के सबसे प्रसिद्ध शहरो में से एक है। जहाँ देश की आबादी का आधे से अधिक जनसंख्या युवाओं की है। लखनऊ शहर की जनसंख्या जनगणना 2011, के अनुसार 28,15,601 है जिसमे पुरुषों की संख्या 14,70,133 तथा महिलाओं की संख्या 13,45,468 है। वही लखनऊ शहर युवाओं की शिक्षा की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। जिसके अर्न्तगत विशिष्ट रूप से यह युवाओं को वाणिज्य शिक्षा, ऐतिहासिक एवं वस्तुकला शिक्षा, संस्कृत, उर्दू एवं साहित्य की शिक्षा प्रदान

करने में यह दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय शहर है। वही अगर हम महिला पुरुष लिंगअनुपात को देखते हैं तो यह जनगणना 2011 के अनुसार, प्रति 1000 पुरुषों पर 915 महिलाएँ हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ में औसत साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार, 84.72 प्रतिशत है जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 87.81 प्रतिशत वही महिला साक्षरता दर 81.36 प्रतिशत है। इसके साथ ही शहर में बदलती रोजगार प्रणाली के अनुसार शहरी युवाओं को शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा प्रदान करने की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

अगर हम लखनऊ में प्रदान की जा रही कौशल प्रशिक्षण प्रतिशतता को देखते हैं तो इसका प्रतिशत सर्वधिक है। वर्तमान में अनुमानित 51 कौशल केन्द्रों एवं 14 कौशल प्रशिक्षण क्षेत्रों के अर्न्तगत 3353 हजार शहरी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसमें से लगभग प्रत्येक वर्ष 2499 हजार युवा ही कौशल कौशल प्रशिक्षित हो पाते हैं तथा अनुमानित 40-50 प्रतिशत युवाओं को ही रोजगार प्राप्त हो पाता है। जिला कौशल कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, (2018)

लखनऊ शहर में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। यह कौशल प्रशिक्षण युवाओं को कौशल विकास के 25 पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। जिसके अर्न्तगत युवाओं को विभिन्न कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिनमें मुख्यतः सेल्फ इम्प्लॉयड टेलर, सेल्फ इम्प्लॉयड इलेक्ट्रीशियन,टेलीकॉम इन स्टोर प्रमोटर, टेली,मोबाइल रिपेयर इंजीनियरिंग

कन्सट्रक्शन एवं रिटेल क्षेत्र में युवाओं को विभिन्न कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

कौशल प्रमाणीकरण एवं मान्यता सेल

जिला कौशल कार्यक्रम समिति

प्रत्येक जिले में एक जिला कौशल कार्यकारी समिति होगी। यह समिति जिला स्तर पर कौशल विकास के वार्षिक कार्यों के दिशा निर्देशों को लागू करेगी।

जिला कार्यकारी समितिकार्य

1. कौशल विकास कार्यक्रम के लिए जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षण कार्य के लिए योजना तैयार करना।
2. जिले में विभिन्न कौशल विभागों के प्रयासों को एक साथ लाना।
3. युवाओं को एक साथ एकत्रित करने के कौशल प्रशिक्षण जागरूकता अभियान आयोजित करना।
4. सभी कौशल उम्मीदवारों को आई0टी0 पोर्टल को सुविधा देना।
5. कौशल प्रशिक्षण के आधार पर रोजगार मेले का आयोजन करना तथा आस-पास के सभी जिलों में रोजगार के अवसरों की सूची तैयार करना तथा आई.टी. पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध करवाना।
6. प्रत्येक महीने में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की प्रगति की समीक्षा करना।

कौशल जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (DPMU)

प्रत्येक जिले में एक कौशल कार्यक्रम प्रबंधन इकाई बनायी गयी है। यह कौशल कार्यक्रम प्रबंधन इकाई प्रत्येक जिले में कौशल विकास के सभी कार्यों एवं कौशल प्रशिक्षण के कार्यन्वयन का कार्य करेगी। जिसके अंतर्गत जिले में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पंजीकरण, कौशल विकास कार्यक्रम की प्रगति आंकड़ों का संग्रह, कौशल कार्यक्रम पर्यवेक्षक का निरीक्षण और दिन के आधार पर काउंसलिंग एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कौशल कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का संचालन जिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा इकाई के वर्तमान कौशल विकास द्वारा रोजगार के अवसर (NRLM) राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के तहत ग्रामीण युवाओं के कौशल रोजगार के लिए काम कर रही है। शहरी क्षेत्रों में सी.डी.एस (CDS) प्रणाली के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलास्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कौशल विकास कार्यक्रम की देखरेख एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यों में मार्गदर्शन का कार्य करेगी। जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई लखनऊ, (2018)

जिले में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कौशल प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

- प्रत्येक जिले में उत्तर प्रदेश कौशल मिशन के तहत एक पद बनाया जायेगा तथा उसे एच.आर. के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
- प्रत्येक जिले में (ए.पी.ओ.) डूडा कारक से अधिक पद शहरी विकास विभाग के अंतर्गत जाता है। शहरो में जिला विकास अधिकारी के साथ कौशल विकास मिशन सम्बंधित कार्यों की माध्यता के लिए

प्रत्येक ए.पी.ओ. को एक डी.पी.एम.यू. दिया जायेगा जो डूडा से अपना वेतन प्राप्त करेगा।

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन के अर्न्तगत राष्ट्रीय कौशल विकास नीति एवं युवाओं को प्रदान किए जा रहे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के बारे में बताता है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का संचालन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास द्वारा तथा राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत शहरी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रस्तुत योजना के अर्न्तगत मुख्य रूप से समाज के उन वंचित समुहों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जो निचले तबके के हैं तथा सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं जैसे—अनुसूचित जाति, तथा अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ एवं अल्पसंख्यक समुहों को मुख्य रूप से कौशल प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है। वर्तमान में देश में कुल 7800 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के अर्न्तगत 23 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। (कौशल वार्षिक रिपोर्ट, 2017–18) योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिसके अर्न्तगत स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से युवाओं को इ. लार्निंग की शिक्षा भी प्रदान करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अतः स्पष्ट होता है राष्ट्रीय कौशल विकास नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शहरी युवाओं को रोजगार प्रदान करने में कुछ हद तक सफल हो रही है।

शहरी युवाओं की वर्तमान सामाजिक,आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति

किसी भी देश का सामाजिक, आर्थिक विकास तभी सम्भव है जब उस देश के युवा देश की अर्थव्यस्था में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। और यह तभी सम्भव है जब उस देश के युवा कौशल प्रशिक्षित होंगे। एक कौशल प्रशिक्षित युवा न सिर्फ देश के विकास में सहयोग देते हैं बल्कि अपने परिवार एवं राष्ट्रीय विकास में भी योगदान देते हैं। वर्तमान देश में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह कहा जा सकता है। उचित प्रकार से कौशल प्रशिक्षित युवा ही श्रम बाजार में अपनी इच्छानुसार रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। तथा परिवार के जीविकोपार्जन में भी सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के द्वारा ही समाज में उसकी सामाजिक स्थिति को भी निर्धारित किया जाता है। प्रस्तुत अध्याय कौशल प्रशिक्षित शहरी युवाओं की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को दर्शाता है। जिसके अन्तर्गत युवाओं का शैक्षिक स्तर का प्रतिशत,धर्म की स्थिति,कौशल प्रशिक्षित शहरी युवाओं का जाति समुह, लिंग, वैवाहिक स्थिति परिवार के सदस्यों की संख्या,कौशल प्रशिक्षित शहरी युवाओं की परिवारिक स्थिति एवं सभी स्त्रोंत से आय को दर्शाया गया है।

तालिका सूची 3.1: सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति

	चर	संख्या	प्रतिशत
जाति समूह	जनरल	45	40.9
	ओबीसी	44	40.0
	एससी	17	15.5
	एसटी	4	3.6
	कुल	110	100.0
धार्मिक स्थिति	हिन्दू	95	86.4
	मुस्लिम	15	13.6
	सिख	—	—
	इसाई	—	—
	कुल	110	100.0
परिवार मे सदस्यों की संख्या	तीन से चार	20	18.2
	चार से पाँच	29	26.4
	पाँच से छः	28	25.5
	छः से अधिक	33	30.0
	कुल	110	100.0

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (2018–19)

तालिका सूची 3.1 उत्तरदाताओं के जाति समूह को दर्शाती है। प्रस्तुत शोध द्वारा एकत्र किए आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है। कौशल प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं में उच्च जाति के छात्रों की संख्या प्रतिशत अधिक रहा जिसमें सामान्य जाति 40.9 प्रतिशत सबसे अधिक प्रतिशतता देखी गयी है।

वही ओबीसी जाति समूह की संख्या प्रतिशत 40.0 प्रतिशत देखा गया। वही जाति अनुसार कौशल प्रशिक्षण केन्द्र में सबसे न्यूनतम प्रतिशत अनुसूचित जाति समूह का देखा गया है जिसका प्रतिशत 15.5 तथा सर्वाधिक न्यूनतम प्रतिशत अनुजनजाति का 3.6 प्रतिशत पाया गया।

यह तालिका सूची 3.1 उत्तरदाताओं के धर्म समूह को दर्शाती है। दर्शायी गयी तालिका सूची से स्पष्ट होता है कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं में सर्वाधिक प्रतिशत हिन्दू धर्म का देखने को मिलता है जो सम्पूर्ण नमूने का 86.4 प्रतिशत है। यही 13.6 प्रतिशत मुस्लिम धर्म के युवा कौशल प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त दर्शायी गयी तालिका सूची 3.1 उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। दर्शायी गई तालिका सूची में उत्तरदाताओं के परिवारिक समूह को चार संख्याओं में दर्शाया गया है। जो क्रमशः 3-4 (18.2 प्रतिशत) 4-5 (26.4 प्रतिशत), 5-6 (25.5 प्रतिशत) तथा 6 से अधिक 30.0 प्रतिशत है। जिसमें ज्यादातर युवाओं परिवारिक स्थिति का अनुपात 6 से अधिक 30 प्रतिशत पाया गया है।

तालिका सूची 3.2: शैक्षणिक स्थिति

	चर	संख्या	प्रतिशत
आयु	15–20	56	50.9
	20–25	41	37.3
	25–30	6	5.5
	30–35	1	.9
	35–40	6	5.5
	कुल	110	100.0
लिंग	पुरुष	54	49.1
	महिला	56	50.9
	कुल	110	100.0
शिक्षा का स्तर	प्राइमरी	1	.9
	अपर प्राइमरी	1	.9
	हाईस्कूल	9	8.2
	इन्टरमीडिएट	63	57.3
	स्नातक	28	25.5
	परास्नातक	8	7.3
	कुल	110	100.0
	वैवाहिक स्थिति	अविवाहित	98
विवाहित		12	10.9
तुलाकशुदा		—	—
विधवा		—	—
कुल		110	100.0

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (2018–19)

उपरोक्त तालिका 3.2 उत्तरदाताओं की वर्तमान आयु एवं आयु के प्रतिशत को दर्शाती है। जिससे स्पष्ट होता है। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उत्तरदाताओं की आयु का अधिकतम प्रतिशत क्रमशः (15–20) आयुवर्ग में 50.9 प्रतिशत पाया गया यही (20–25) आयुवर्ग युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त संख्या 37.3 प्रतिशत देखा गया। इसके अतिरिक्त सबसे न्यूनतम कौशल प्रशिक्षण संख्या अनुपात (30–35) 9 प्रतिशत देखा गया। जबकि (25–30) एवं (35–40) आयु वर्ग के युवाओं की संख्या प्रतिशत क्रमशः 5.5 प्रतिशत पाया गया है।

दर्शायी गयी तालिका 3.2 सूची उत्तरदाता के लिंग अनुपात को भी दर्शाती है। जिससे यह पता चलता कौशल प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त युवक एवं युवतियों में महिलाओं की संख्या सर्वधिक है। जिसका प्रतिशत सर्वधिक 50.9 प्रतिशत है। तथा वही पुरुषों की संख्या 40.1 प्रतिशत पायी गयी है।

उपरोक्त तालिका 3.2 से स्पष्ट होता ही कि छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया शिक्षा का स्तर न्यूनतम है। ज्यादातर छात्रों द्वारा इण्टरमीडियेट तक की ही शिक्षा प्राप्त की गई है। जो शिक्षा का न्यूनतम स्तर दशार्ता है। कुछ स्तर छात्रों द्वारा इण्टरमीडियेट तक की प्राप्त की गई शिक्षा का प्रतिशत 57.3 प्रतिशत है। वही 25.5 छात्रों द्वारा स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त छात्रों द्वारा हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्ति का प्रतिशत 8.2 प्रतिशत तथा कुछ छात्रों द्वारा परस्नातक तक शिक्षा प्राप्त करने का अनुपात 7.3 पाया गया वही कुछ छात्रों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का स्तर अधिक न्यूनतम पाया गया जो प्राइमरी स्तर तथा अपर प्राइमरी स्नातक का 9 प्रतिशत ही पाया गया है। प्राप्त किये गये आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि

कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों का शैक्षिक स्तर न्यूनतम है। ज्यादातर कम शैक्षिक स्तर वाले छात्र अच्छे कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयासरत है।

प्रस्तुत तालिका 3.2 सूची से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवक एवं युवतियों की वैवाहिक स्थिति का पता चलता है। प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट होता है। प्रशिक्षण प्राप्त 89.1 प्रतिशत छात्र एवं छात्राएँ अविवाहित है। तथा 10.9 प्रतिशत युवक एवं युवतियों विवाहित है। जिसका प्रतिशत न्यूनतम है।

तालिका सूची 3.3: आर्थिक स्थिति

	चर	संख्या	प्रतिशत
आर्थिक स्थिति	उच्च	7	6.4
	मध्यम	70	63.3
	निम्न	33	30.3
	कुल	110	100.0
व्यवसाय का प्रकार	कृषि	27	24.5
	व्यवसाय	26	23.6
	सरकारी नौकरी	13	11.8
	प्राइवेट नौकरी	43	39.1
	अन्य	.1	.9
आय	दस से पन्द्रह हजार	62	56.4
	पन्द्रह से बीस हजार	23	20.9
	बीस से पच्चीस हजार	9	8.2
	पच्चीस से तीस हजार	16	14.5
	कुल	110	100.0

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (2018-19)

तालिका सूची 3.3 उत्तरदाता आर्थिक स्थिति को दर्शाती है प्रस्तुत तालिका सूची से स्पष्ट होता है। अधिकतम छात्र जो कि कौशल प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त हैं। मध्यय वर्गीय परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। मध्यमवर्गीय छात्रों का अधिकतम 63.3 प्रतिशत है। वही 30.0 प्रतिशत युवा वर्ग निम्न वर्ग सम्बन्ध रखते हैं। जो कि शोधकर्ता द्वारा प्राप्त किए आंकड़ों का न्यूनतम प्रतिशत को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कुछ कौशल प्रशिक्षित छात्र उच्चवर्गीय परिवार से सम्बन्धित भी पाये गये हैं। जिनका प्रतिशत क्रमशः 6.4 है।

दर्शायी गयी तालिका सूची 3.3 उत्तरदाता के सभी स्रोतों से आय एवं पिता के व्यवसाय को दर्शाती है। दर्शायी गई तालिका सूची में विभिन्न व्यवसायों को श्रेणीगत किया गया है। प्राप्त किए गए शोध आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है। शहरी क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त ज्यादातर युवाओं के पिता का व्यवसाय किसी भी प्रकार का निजी रोजगार है। निजी रोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक 39.1 प्रतिशत पाया गया वही ज्यादातर युवा जो कि गांव से शहर में आकर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके पिता का व्यवसाय अधिकतर कृषि ही देखा गया जो सम्पूर्ण आंकड़ों का 24.5 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 23.6 प्रतिशत युवा वर्ग पारिवारिक व्यवसाय में संलग्न है। तथा सर्वाधिक न्यूनतम अनुपात में छात्रों के पिता सरकारी कर्मचारी पाये गये हैं जोकि 11.8 प्रतिशत है। यह तालिका सूची 3.3 उत्तरदाता की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय को दर्शाती है। उत्तरदाता की पारिवारिक आय को क्रमशः विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। जो क्रमशः दस से पन्द्रह हजार (10–15 हजार) 56.4 प्रतिशत (15–20 हजार) 20.9 प्रतिशत (20–25 हजार) 8.2 प्रतिशत तथा (25–30 हजार) 14.5 बांटा गया है। दर्शायी गयी तालिका सूची

में सर्वाधिक आय का प्रतिशत (10–15 हजार) 56.4 प्रतिशत पाया गया है। वही सर्वाधिक न्यूनतम आय का प्रतिशत (20–25 हजार) 8.2 प्रतिशत पाया गया है।

तालिका सूची 3.4 जाति अनुसार उत्तरदाता आर्थिक स्थिति

क्र०स०	चर				
	जाति	उच्चवर्ग	मध्यम वर्ग	निम्नवर्ग	कुल
1-	जनरल	4 (8.8)	28 (62.2)	13 (28.8)	45 (100.0)
2-	ओ०बी०सी०	3 (6.6)	29 (64.4)	12 (27.2)	44 (100.0)
3-	एस०सी०	-	10 (58.8)	7 (41.7)	17 (100.0)
4-	एस०टी०	-	3 (75.0)	1 (25.0)	4 (100.0)
	कुल	7 (6.3)	70 (63.6)	33 (30.0)	110 (100.0)

नोट—कोष्ठक में दी संख्या प्रतिशत को दर्शाती है।

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (2018–19)

दशायी गयी तालिका सूची 3.4 जाति अनुसार उत्तरदाता के परिवार की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट होता है सामान्य जाति के अधिकतम छात्र 62.2 प्रतिशत मध्यमवर्गीय परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। वही 28.8 प्रतिशत छात्र निम्न वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। इसके अतिरिक्त 8.8 प्रतिशत सामान्य जाति के छात्र उच्च वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। जबकि 64.4 प्रतिशत ओ.बी.सी. छात्रों का कहना है उनकी परिवारिक आर्थिक स्थिति मध्यमवर्गीय है। जबकि 27.2 प्रतिशत छात्र निम्न वर्गीय परिवार से हैं। तथा 6.6 प्रतिशत छात्र उच्चवर्गीय परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। इसके अतिरिक्त

28 प्रतिशत छात्र जो की अनुसूचित जाति के हैं। मध्यमवर्गीय परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। तथा 41.7 प्रतिशत छात्र निम्नवर्गीय परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। जबकि 75.0 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्र जो कि मध्यमवर्गीय परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। तथा 25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्र निम्नवर्गीय परिवार से सम्बन्ध रखते हैं।

गुणात्मक प्रश्न

3.5 आपके अनुसार वर्तमान में संचालित विभिन्न कौशल विकास सम्बन्धित कार्यक्रम किस प्रकार रोजगार प्राप्ति में मददगार है।

लखनऊ जिले में चयनित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में शोध के दौरान उत्तरदाता द्वारा बताया गया ज्यादातर युवा कौशल प्रशिक्षण द्वारा अच्छे रोजगार प्राप्ति में सफल होते है। हमारी परम्परागत शिक्षा हमें शैक्षिक ज्ञान तो प्रदान करती है जबकि अच्छे रोजगार के लिए युवाओं को कौशल और प्रयोगात्मक ज्ञान को प्राप्त करना भी आवश्यक है। वर्तमान में ज्यादातर युवा अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अच्छा रोजगार प्राप्त करने में असफल होते है इसका कारण यह होता है। उन्हें रोजगार सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी का होना पाया जाता है। जबकि सरकार द्वारा चलायी जा रही हे। कौशल विकास योजना युवाओं की स्थिति के अनुरूप उन्हें शैक्षिक स्थिति के साथ कौशल ज्ञान भी प्रदान करती है जो वर्तमान में रोजगार बाजार और रोजगार के अनुरूप होता है। जिससे युवा कम समय में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करके अच्छे रोजगार को प्राप्त कर पाता है। सरकार

द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चलायी जा रही यह योजना निःशुल्क युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। जिससे युवाओं को रोजगार प्राप्त कराने में सहायता मिल रही है।

3.6 राष्ट्रीय कौशल विकास द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है।

चयनित किए गए कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में शोध के दौरान उत्तरदाताओं द्वारा यह बताया गया ज्यादातर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही उनके आत्मविश्वास भी बढ़ा है। कुछ छात्र जो कि गांव से शहरों की ओर आकर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उनके द्वारा कहा गया। उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में बदलाव आयी है। पहले वह कम शिक्षा प्राप्ति के कारण गांव में ही रहकर खेती का काम कर पा रहे थे। जबकि सरकार द्वारा चलायी जा रही कौशल योजना द्वारा वह भी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। तथा अच्छे रोजगार को प्राप्त करने में सफल हुए है तथा कौशल प्रशिक्षण से प्राप्त रोजगार में उनके आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। वह परिवार के जीवन यापन में अपना सहयोग दे पा रहे है। ज्यादातर शहरी युवाओं द्वारा यह बताया गया कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह अच्छे रोजगार को प्राप्त कर रहे है। जो उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव ला रही है। जिससे समाज में उनको एक अच्छी प्रस्थिति प्राप्त हो रही है। कौशल प्रशिक्षण द्वारा समाज का कम पढ़ा लिखे युवा भी अच्छा रोजगार प्राप्त कर रहे है। कौशल क्योंकि कौशल प्रशिक्षण युवाओं के शैक्षिक स्तर में परे उनकी शिक्षा स्तर के अनुसार

उनको कौशल प्रदान कर रहा है। जिस प्रकार का कौशल युवाओं के लिए आवश्यक है।

3.7 आपके अनुसार वर्तमान परम्परागत शिक्षण युवाओं के रोजगार प्रदान करने में सक्षम है! हाँ या नहीं अगर नहीं उल्लेखित करें।

चयनित कौशल प्रशिक्षण केंद्र में उत्तरदाता द्वारा बताया गया। परम्परागत शिक्षा युवा पीढ़ी शैक्षिक ज्ञान प्रदान कर रही है। जबकि वह कौशल शिक्षा या प्रयोगात्मक शिक्षा से दूर है। ज्यादातर युवा वर्तमान में अपनी निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण अकादमिक शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं इसलिए उन्हें बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ती है।

जबकि सरकार द्वारा चलाये जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम युवा वर्ग को कम शैक्षिक स्तर पर भी बेहतर रोजगार प्रदान कर रहा है जिससे वे समाज में एक नयी जगह प्राप्त कर रहे हैं। छात्रों द्वारा बताया गया परम्परागत शिक्षा केवल हमें शास्त्रीय ज्ञान प्रदान करती है जबकि किसी भी अच्छी कम्पनी में रोजगार प्राप्त करने के लिए शैक्षिक ज्ञान के साथ तकनीकी ज्ञान भी आवश्यक है। कौशल प्रशिक्षण द्वारा युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध हो रहा है। जिससे वह किसी भी अच्छी कम्पनी में बेहतर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तथा अच्छी सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्राप्त कर रहे हैं।

सारांश

प्रस्तुत अध्याय कौशल प्रशिक्षित शहरी युवाओं की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक स्थिति को बताता है। शोध अध्याय से यह निष्कर्ष निकलता है कि कौशल प्रशिक्षित अधिकतर 63.6 प्रतिशत शहरी युवा मध्यमवर्गीय परिवार के

है। जबकि 30.3 प्रतिशत कौशल प्रशिक्षित युवा निम्नवर्गीय परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। इसके अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या का प्रतिशत अधिक है जो कि 50.9 है वहीं पुरुषों की संख्या प्रतिशत 40.1 है। तथा अध्याय के निष्कर्ष स्वरूप यह भी देखा गया कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में अधिकतर युवाओं की परिवारिक आय का स्रोत निजि रोजगार है। जिसका प्रतिशत 39.1 है। वहीं कुछ युवाओं की परिवारिक आय का स्रोत कृषि है। जिसका प्रतिशत 24.5 है। इसके अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षित युवाओं का कहना है कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही कम समय में बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा है। जिससे युवा परिवार के जीवनव्यापन में अपना सहयोग प्रदान कर पा रहे हैं। तथा अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर पा रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त अधिकतर छात्र एवं छात्राओं का कहना है कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रायः पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक देखी गई अतः निष्कर्ष स्वरूप यह स्पष्ट होता है पुरुषों की तुलना में महिलाएं कौशल प्राप्ति की ओर अधिक रुचि दिखा रही हैं।

शहरी युवाओं पर कौशल विकास योजना का प्रभाव

हमारा देश आज भी युवाओं को कौशल शिक्षा प्रदान कराने में पीछे है। जहाँ देश की युवा आबादी अपनी परम्परागत शिक्षा का लक्ष्य तो प्राप्त कर रही है वही अभी भी ज्यादातर युवाओं में तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान न होने के कारण बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए युवाओं के सतत विकास एवं उन्हें उचित रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। कौशल विकास कार्यक्रम वर्तमान में बदलती उद्योगों की जरूरतों के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं ज्ञान प्रदान करता है।

कौशल प्रशिक्षण द्वारा देश के युवाओं को आज श्रम बाजार के अनुसार उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उद्यमशील बनाना शामिल है। देश में युवा कौशल प्रशिक्षित अनुपात सबसे कम है। देश में आज भी ज्यादातर समुदाय जो कि हाशिए पर है। उन्हें कौशल शिक्षा की कमी के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका एक प्रमुख कारण समाज के वंचित वर्गों को अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए उपलब्ध अवसरों और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत कौशल भारत मिशन के द्वारा विभिन्न युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण किसी भी राष्ट्र के विकास लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व हैं। देश में कौशल विकास संरचना हाल ही में देश में मौजूदा

कौशल विकास की कमी को देखते सरकार ने विभिन्न मध्यमो से इसे दूर करने का प्रयास किया। जिसके चलते सरकार द्वारा केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की शुरुआत की गई जिससे समाज में मौजूद सभी वर्गों को समान रूप से कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा सके।

कौशल विकास उपलब्धियाँ

तालिका सूची 4.1: कौशल प्रशिक्षण अनुसार रोजगार उपलब्धि (2017-18)

उपलब्धि	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	अबतक कुल
कौशल प्रशिक्षण नामांकन स्थिति	4,373	10,279	13,221	9,406	41,309
कौशल प्रशिक्षण प्राप्तिदर स्थिति	3,004	6,701	10,620	8,190	30,427
रोजगार प्राप्तिदर	2,258	4,016	6,701	3,480	18,174
रोजगार नियुक्ति स्थिति	1,981	3,398	3,288	3,115	12,895

स्रोत: कौशल विकास वार्षिक रिपोर्ट, (2016-2020)

दर्शायी गयी तालिका सूची 4.1 कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार की वार्षिक उपलब्धि संख्या को दर्शाती है। जिसके अर्न्तगत युवा कौशल नामांकन स्थिति (2014-15) के अनुसार 4,373 थी। जो (2015-16) में बढ़कर 10,279 हों गयी। वही हम (2016-17) की कौशल नामांकन दर को देखते हैं तो यह

13,221 से घटकर (2017-18) में 94,06 हो गयी है। वर्तमान में कौशल नामांकन संख्या 41,309 है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं। (2014-15) 3,004 युवाओं को ही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। तथा (2015-16) में यह संख्या 6,701 हो गयी जबकि (2016-17) में यह संख्या बढ़कर फिर 10,620 हो गयी। इसके अतिरिक्त (2017-18) में कौशल प्राप्ति संख्या की संख्या घटकर 8,190 हो गयी। वर्तमान में कुल युवा कौशल प्रशिक्षण संख्या 30,427 है।

वही अगर हम रोजगार प्राप्ति की संख्या देखे तो यह (2014-15) में कौशल प्रशिक्षण के बाद 2,458 थी। जो (2015-16) में बढ़कर 4,016 हो गयी। इसके अतिरिक्त (2016-17) में रोजगार प्राप्ति संख्या 6,701 पायी गयी। तथा (2017-18) में रोजगार प्राप्ति संख्या अन्य वर्षों से कम थी। वर्तमान में अब तक लगभग 18,174 युवाओं को कौशल प्रशिक्षित किया जा चुका है। दर्शायी तालिका 4.1 युवा कौशल रोजगार की स्थिति को भी दर्शाती है। (2014-15) में 1,981 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार प्राप्त हुआ। तथा (2015-16) में वही कौशल प्रशिक्षण द्वारा 3,398 हजार युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। जबकि (2016-17) में 3,288 हजार युवा वर्ग को कौशल प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हुआ है। कौशल रोजगार की संख्या (2017-18) में कम देखी गयी जो 3,115 थी। तथा वर्तमान में अब तक कौशल प्रशिक्षण द्वारा 12,895 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार प्राप्त हुए हैं।

तालिका सूची 4.2: कौशल पाठ्यक्रम अनुसार रोजगार स्थिति

क्र०सं०	कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	बी०पी० ओकोल सेन्टर	रिटेल सेल्स एसोसिएट	मोबाइल फोन पर रिपेयर सेन्टर	सेल्फ इम्पलॉइड टेलर/स्विग मशीन ऑपरेटर	सेल्फ इम्पलॉयड इलेक्ट्रीशियन	बेकिंग सेल्फ आकॉन्टेड	रोजगार प्राप्त सं०	कुल सीटों की संख्या
1.	कस्टमर केयर एक्जुकुटिव	18 (78.2)	5 (21.7)	—	—	—	—	23 (100.0)	30
2.	टेलीकॉम एन्ड स्टोर प्रमोटर	15 (8.3)	3 (16.6)	—	—	—	—	0 (100.0)	30
3.	मोबाइल रिपेयर इंजिनियरिंग	—	—	22 (100.0)	—	—	—	22 (100.0)	30
4.	सेल्फइम्पॉलयड टेलर	—	—	—	15 (100.0)	—	—	15 (100.0)	30
5.	इलेक्ट्रीशियन	—	—	—	—	12 (100.0)	—	12 (100.0)	30
6.	टैली	—	—	—	—	—	20 (100.0)	20 (100.0)	30
	कुल	33 (30.0)	8 (7.2)	22 (20.0)	15 (13.6)	12 (10.9)	20 (18.18)	110 (100.0)	180

नोट—कोष्ठक में दी संख्या प्रतिशत को दर्शाती है।

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (2018-19)

तालिका सूची 4.2 कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद युवा रोजगार की स्थिति को दर्शाती हैं। दर्शायी गयी तालिका सूची में वर्तमान रोजगार की स्थिति का पता लगाने के लिए कौशल प्रशिक्षण के छः पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है। जिसके अन्तर्गत कस्टमर केयर, एकजूकेटिव टेलीकॉम इन स्टोर प्रमोटर, मोबाइल रिपेयर इंजिनियरिंग, सेल्फ इम्प्लायड टेलर इलेक्ट्रीशियन, तथा टेली पाठ्यक्रमों को चयन किया गया है। चयनित किए गए विभिन्न कौशल पाठ्यक्रम युवा रोजगार की स्थिति को दर्शाते हैं। पाठ्यक्रम अनुसार युवा वर्ग को कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

कौशल पाठ्यक्रम अनुसार अधिकतर बी.पी.ओ. कॉल सेन्टर 78.7 प्रतिशत युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं जो कौशल प्रशिक्षण के अनुसार रोजगार प्राप्ति के अवसर की अधिकता को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त 21.7 प्रतिशत युवाओं को रिटेल सेल्स एसोसिएट के रूप में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। रिटेल क्षेत्र एवं बीपीओ सेक्टर में रोजगार क्षेत्र में कुल उपलब्ध सीटों के अनुसार 60.6 प्रतिशत छात्रों को रोजगार प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 8.3 प्रतिशत युवाओं को टेलीकॉम सेक्टर में 16.6 प्रतिशत छात्रों को जो कि कस्टमर केयर एग्ज्यूकेटिव पाठ्यक्रम में कौशल प्रशिक्षित थे उन्हें रिटेल सेक्टर में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। अन्य पाठ्यक्रम मोबाइल रिपेयर इंजिनियरिंग कौशल प्रशिक्षित छात्रों में से 73.3 प्रतिशत छात्रों को मोबाइल फोन रिपेयरिंग सेन्टर के अन्तर्गत जीयो शोरूम में रोजगार प्राप्त हुए हैं। तथा सेल्फ इम्प्लॉयड टेलर पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षित अधिकतर छात्र स्वरोजगार द्वारा अपना जीवनव्यापन कर रहे

हैं जिसका प्रतिशत निम्नतम 50.0 रहा है। तथा कुछ छात्र जो इलेक्ट्रीशियन पाठ्यक्रम में कौशल प्रशिक्षित हैं उनके द्वारा भी ज्यादातर स्वरोजगार द्वारा अपना जीवनयापन किया जा रहा है। जिसका प्रतिशत 40.0 है। इसके अतिरिक्त टैली कौशल पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को बैंकिंग सेल्स अकाउन्टेंट के रूप में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

तालिका सूची 4.3: जाति अनुसार रोजगार प्राप्त छात्रों की संख्या/प्रतिशत

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	उत्तरदाता जाति समूह					
		जनरल	ओ०बी०सी	एस०सी०	एस०टी०	कुल संख्या	कुल सीटो संख्या
1.	बी०पी०ओ० कॉल सेन्टर	9 (39.1)	10 (43.4)	4 (17.3)	—	23 (100.0)	30
2.	रिटेल सेल्स एसोसिस्ट	11 (61.1)	3 (16.6)	3 (16.6)	1 (5.5)	18 (100.0)	30
3.	मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर सेन्टर	7 (31.8)	12 (54.5)	2 (9.9)	1 (4.5)	22 (100.0)	30
4.	सेल्फ इम्पलॉइड टेलर स्विंग मशीन ऑपरेटर	3 (20.0)	5 (33.3)	6 (40.0)	1 (6.6)	15 (100.0)	30
5.	सेल्फ इम्पलॉयड इलेक्ट्रीशियन	5 (41.6)	5 (41.6)	1 (8.3)	1 (8.3)	12 (100.0)	30
6.	बेकिंग सेल्स अकॉउण्टेण्ट	10 (50.1)	9 (45.0)	1 (5.0)	—	20 (100.0)	30
	कुल	45 (40.9)	44 (40.0)	17 (15.4)	4 (3.6)	110 (100.0)	180

नोट—कोष्ठक में दी संख्या प्रतिशत को दर्शाती है।

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (2018–19)

तालिका सूची 4.3 उत्तरदाता को जाति अनुसार रोजगार प्राप्ति की प्रतिशतता को दर्शाती है जिसमें कुल छः रोजगार क्षेत्रों को चयनित किया गया है। जिसके अन्तर्गत युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। कौशल रोजगार क्षेत्रों को विवरण निम्नलिखित है। बी.पी.ओ. कॉल सेन्टर के अन्तर्गत जनरल के 39.1 प्रतिशत छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वही ओ.बी.सी के 43.4 प्रतिशत छात्रों को रोजगार मिला है वही अनुसूचित जाति 17.3 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के किसी भी छात्रों को रोजगार नहीं प्राप्त हुआ है। जबकि रिटेल क्षेत्र में जनरल 61.1 प्रतिशत छात्र तथा ओ.बी.सी 16.6 प्रतिशत छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। जबकि अनुसूचित जाति के न्यूनतम छात्रों को 5.5 प्रतिशत छात्रों ही रोजगार के अवसर प्राप्त कर पाये हैं।

अतः शोध के दौरान यह पाया गया बी.पी.ओ. एवं रिटेल क्षेत्र में उच्च जाति के छात्रों का अधिकतम प्रतिशत कुल उपलब्ध सीटों का 40.9 प्रतिशत पाया गया मोबाइल फोन हार्डवेयर एवं रिपेयर सेन्टर में जनरल के 31.8 प्रतिशत छात्र तथा ओ.बी.सी के 54.5 प्रतिशत छात्रों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त स्विंग मशीन ऑपरेटर के अन्तर्गत जनरल के 20.0 प्रतिशत छात्रों को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा अनुसूचित जाति के 40.0 तथा अनुसूचित जनजाति 6.6 प्रतिशत छात्रों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त सेल्फ इम्प्लॉयड इलेक्ट्रीशियन के अन्तर्गत जनरल के 41.6 प्रतिशत छात्रों को स्वरोजगार द्वारा इलेक्ट्रीशियन के रूप में रोजगार प्राप्त हुआ है जबकि 41.6 प्रतिशत ओ.बी.सी. छात्रों को रोजगार प्राप्त हुआ तथा 8.

3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रोजगार प्राप्त हुआ है। बैंकिंग सेल्स अकाउन्टेन्ट के अर्न्तगत जनरल 50.0 प्रतिशत छात्रों को रोजगार प्राप्त हुआ है जबकि ओ.बी.सी. 45.0 प्रतिशत छात्रों को रोजगार प्राप्त हुआ है जबकि अनुसूचित जनजाति के किसी भी छात्र को रोजगार नहीं प्राप्त हुआ है। शोध अध्ययन के दौरान यह पता चलता है कि कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं में ज्यादातर उच्च जाति के छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

तालिका सूची 4.4: कौशल प्रशिक्षित युवाओं की व्यवसायिक प्रशिक्षण स्थिति

क्रम सं०	पाठ्यक्रम	संख्या		कुल
		हाँ	नहीं	
1.	आई.टी.आई.	7 (6.3)	—	7 (100.0)
2.	पॉलिटेक्निक	6 (5.4)	—	6 (100.0)
3.	कम्प्युटर	22 (17.2)	—	22 (100.0)
4.	कोई नहीं	—	75 (68.1)	75 (100.0)
	कुल	35 (31.8)	75 (68.1)	110 (100.0)

नोट—कोष्ठक में दी संख्या प्रतिशत को दर्शाती है।

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (2018–19)

तालिका सूची 4.4 कौशल प्रशिक्षित युवाओं की व्यवसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी स्थिति को दर्शाती है। प्रस्तुत शोध आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है चयनित किए गए सभी उत्तरदाताओं में से 31.8 प्रतिशत छात्रों ने किसी न किसी प्रकार का व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कुछ छात्र आई0टी0आई0 डिप्लोमा प्रशिक्षण प्राप्त है जिनका प्रतिशत 6.3 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 17.2 प्रतिशत छात्र पहले से कम्प्युटर प्रशिक्षण प्राप्त हैं जबकि 5.4 प्रतिशत छात्र पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्राप्त हैं। वही कौशल प्रशिक्षण संस्था में अधिकतम छात्रों ने किसी भी प्रकार के व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं थे जिनका प्रतिशत अधिकतम 68.1 प्रतिशत पाया गया है।

तालिका सूची 4.5: कौशल प्रशिक्षण भेदभाव सम्बन्धी स्थिति

क्रम सं०	भेदभाव के प्रकार	संख्या		कुल
		हाँ	नहीं	
1.	कौशल प्रशिक्षण भेदभाव	3 (2.7)	—	3 (100.0)
2.	जातिगत भेदभाव	—	—	—
3.	लिंग भेदभाव	2 (1.8)	—	2 (100.0)
4.	सहपाठी द्वारा भेदभाव	—	—	—
5.	कोई नहीं	—	106 (96.3)	106 (100.0)
	कुल	5 (4.5)	106 (96.3)	110 (100.0)

नोट—कोष्ठक में दी संख्या प्रतिशत को दर्शाती है।

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (2018–19)

तालिका सूची 4.5 कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में उत्तरदाता की भेदभाव सम्बन्धी स्थिति को दर्शाता है। शोध द्वारा एकत्र किए गए आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है। ज्यादातर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को कौशल संस्थानों में किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है। 96.3 प्रतिशत छात्रों का कहना है उन्हें कौशल संस्था में किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त 4.2 प्रतिशत छात्रों को कौशल संस्था में किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है। 2.7 प्रतिशत छात्रों को प्रशिक्षण संस्थानों में भेदभाव सम्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ा है। प्रशिक्षण संस्थानों में ज्यादातर छात्रों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है जिसका प्रतिशत सर्वाधिक 96.3 प्रतिशत है। जबकि कुछ छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ा है। जिनमें 1.8 प्रतिशत छात्रों को प्रशिक्षण संस्थानों में लिंग सम्बन्धी भेदभाव का सामना करना है। जबकि 96.3 छात्रों का कहना है उन्हें कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की भेदभाव का नहीं करना पड़ा है।

तालिका सूची 4.6: कौशल प्रशिक्षण समस्या स्थिति

क्रम.सं.	समस्या प्रकार	संख्या		कुल
		हाँ	नहीं	
1.	व्यवसाय मार्गदर्शन में कमी	8 (7.2)	—	8 (100.0)
2.	कौशल प्रशिक्षण गुणवत्ता की कमी	5 (4.5)	—	5 (100.0)
3.	कौशल प्रशिक्षण संसाधनों की कमी	3 (2.7)	—	3 (100.0)
4.	कोई नहीं	—	94 (85.4)	94 (100.0)
	कुल	16 (14.5)	94 (85.4)	110 (100.0)

नोट—कोष्ठक में दी संख्या प्रतिशत को दर्शाती है।

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (2018–19)

तालिका सूची 4.6 कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में उत्तरदाता की समस्या सम्बन्धी स्थिति को दर्शाती है। दर्शायी गई तालिका सूची से यह स्पष्ट होता है कि ज्यादातर छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। जिनका प्रतिशत सर्वाधिक 85.4 प्रतिशत है। कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में उत्तरदाता को प्रशिक्षण के दौरान अधिकतर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। जबकि कुछ छात्रों को किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है। प्रशिक्षण संस्थानों में 14.5 प्रतिशत छात्रों को किसी न किसी प्रकार

की समस्या का सामना करना पड़ा है। जिसमें से कुछ छात्रों को व्यवसाय मार्गदर्शन में कमी जिसका प्रतिशत 7.2 तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुणवत्ता की कमी 4.5 प्रतिशत इसके अतिरिक्त कुछ छात्रों को कौशल प्रशिक्षण संसाधनों की कमी जिसका प्रतिशत 2.7 प्रतिशत है। कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ा है। कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में ज्यादातर छात्रों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है जिसका प्रतिशत सर्वाधिक 85.4 प्रतिशत है।

तालिका सूची 4.7: उपलब्ध कौशल प्रशिक्षण संसाधन स्थिति

क्र.सं.	संस्थानों के नाम	संख्या	प्रतिशत
1.	प्रोजेक्टर प्रयोग	14	12.7
2.	प्रयोगशाला प्रशिक्षण	5	4.5
3.	चार चित्रो ग्राफिक्स	7	6.4
4.	सभी	84	76.4
	कुल	110	100.0

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (2018-19)

तालिका सूची 4.7 चयनित किए गए कौशल प्रशिक्षण संस्था में प्रयोगात्मक सुविधाओं को उपलब्धता को दर्शाता है। शोध के दौरान एकत्र किए गये आँकड़ों से स्पष्ट होता है चयनित किए गए कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं में अधिकतर कौशल प्रशिक्षित छात्रों को सभी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। शोध के दौरान एकत्र किए आँकड़ों से स्पष्ट होता है

कि 76.4 प्रतिशत छात्रों को कौशल संस्थाओं में प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण उपकरणों का प्रयोग करवाया जा रहा है। प्रयोगात्मक उपकरणों का विवरण निम्नलिखित है। प्रोजेक्टर, प्रैक्टिकल लैब, चार्ट पिक्चर और ग्राफिक्स आदि इसके अतिरिक्त 12.7 प्रतिशत छात्रों ने कहा उन्हें प्रशिक्षण के दौरान प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं 4.5 प्रतिशत छात्रों ने कहा प्रैक्टिकल लैब ही उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 6.4 प्रतिशत छात्रों का कहना है उन्हें चाट, चित्रों एवं ग्राफिक्स उपलब्ध कराया जा रहा है।

तालिका सूची 4.8: जाति अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रभाव स्थिति

क्र.स.	जाति	प्रभाव स्थिति			सभी	कुल
		सामाजिक- आर्थिक परिवर्तन	रोजगारप्राप्ति में सफल	आत्मविश्वास में बढ़ोतरी		
1.	जनरल	2 (4.4)	12 (26.6)	19 (42.2)	12 (26.6)	45 (100.0)
2.	ओ.बी.सी.	-	16 (36.3)	12 (27.2)	16 (36.3)	44 (100.0)
3.	एस.सी.	-	4 (23.5)	3 (17.6)	18 (58.8)	17 (100.0)
4.	एस.टी.	-	3 (75.0)	-	1 (25.0)	4 (100.0)
	कुल	2 (1.8)	35 (31.8)	34 (30.9)	39 (35.4)	110 (100.0)

नोट-कोष्ठक में दी संख्या प्रतिशत को दर्शाती है।

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण (2018-19)

दशार्थी गयी तालिका सूची 4.8 उत्तरदाता की वास्तविक कौशल प्रभाव स्थिति को दर्शाती है। प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट होता है 4.4 प्रतिशत सामान्य जाति

के छात्रों का कहना है कि कौशल प्रशिक्षण के बाद उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। 26 प्रतिशत सामान्य जाति के छात्रों का कहना है कि कौशल प्रशिक्षण के बाद उनको बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। जबकि 42 प्रतिशत छात्रों ने कहा कौशल प्रशिक्षण के बाद उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त 26.6 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि उनके जीवन में कौशल प्राप्ति के सभी प्रकार के परिवर्तन हुए। जबकि ओ.बी.सी. के 36 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि कौशल प्राप्ति के बाद उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तथा 27.2 प्रतिशत ओ.बी.सी. छात्रों का कहना है कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। जबकि 36.3 प्रतिशत ओ.बी.सी. छात्रों का कहना है कि उनके जीवन में कौशल प्राप्ति के बाद सभी प्रकार के परिवर्तन हुए। वही अनुसूचित जाति के 23.5 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि उन्हें कौशल प्रशिक्षण के बाद बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। जबकि 17.6 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि उनके आत्मविश्वास बढ़ा है। जबकि 58 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्रों का कहना है कि कौशल प्रशिक्षण के बाद उनके जीवन में सभी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसके अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रतिशत न्यूनतम है। जिसमें अनुसूचित जनजाति के 75.0 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि उन्हें कौशल प्रशिक्षण के बाद अच्छा रोजगार प्राप्त हुआ है। वही 25 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि उनके जीवन में कौशल प्रशिक्षण के बाद सभी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं।

सारांश

प्रस्तुत अध्याय से यह निष्कर्ष निकलता है राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा युवाओं को वर्तमान में विभिन्न प्रकार के कौशल पाठ्यक्रमों के अर्न्तगत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिससे उन्हें रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त हो रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण के द्वारा युवाओं को रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों जैसे – बी.पी.ओ. कॉल सेन्टर, फ्रंट ऑफिस ऐसोसिएट, रिटेल सेक्टर, सेल्फ इम्प्लॉयड टेलर एवं सेल्फ इम्प्लॉयड इलेक्ट्रीशियन सोलर पैनल इन्सटॉलर , बैंकिंग सेल्स आकॉउन्टेन्ट आदि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित शोध अध्याय के निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के अनुपात में कुल युवतियों के कौशल प्रशिक्षण का प्रतिशत अधिकतम 50.6 प्रतिशत पाया गया है। वही युवकों में कौशल प्रशिक्षण का प्रतिशत 49.9 देखा गया है। शोध अध्याय से यह निष्कर्ष निकलता है कि कौशल प्रशिक्षण के बाद 30.0 प्रतिशत छात्रों को बी0पी0ओ0 एवं टेलीकॉम क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित शोध अध्याय के निष्कर्ष स्वरूप यह भी स्पष्ट होता है कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण के समय युवाओं को सभी प्रकार के प्रयोगात्मक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिसमें 76.4 प्रतिशत छात्रों का कहना है उन्हें प्रशिक्षण के समय सभी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण प्रयोगात्मक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। निष्कर्ष स्वरूप यह भी स्पष्ट होता है शहरी क्षेत्रों के कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में 96.4 प्रतिशत छात्रों के द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव का अनुभव नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट होता है कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा कुछ हद तक रोजगार प्राप्ति के लक्ष्यों में सफल हो रहा है।

भारत देश विविधताओं एवं विभिन्न संस्कृतियों का देश है। जहाँ आज भी देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। जिसमें युवा जनसंख्या का प्रतिशत सर्वधिक 19.0 प्रतिशत (जनगणना, 2011) है। जो कि शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। अतः इस युवा जनसंख्या को कौशल शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है। जिससे वह देश के समाजिक, आर्थिक विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सके। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अर्न्तगत प्रदान किया जाने वाला कौशल प्रशिक्षण युवाओं को देश की बदलती अर्थव्यवस्था के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यह अभी भी एक समस्या है कि आज देश में कौशल प्रशिक्षित युवा जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। अतः इस समस्या का समाधान देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर ही किया जा सकता है जिससे वह बदलती श्रम बाजार की जरूरतों के अनुसार रोजगार के लिए तैयार हो सके तथा समाज में बेहतर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर सके।

इन समस्याओं को देखते हुए प्रथम राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की शुरुआत (2009) में की गई। जिसके अर्न्तगत बड़े स्तर पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। तथा साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास योजना को प्रत्येक पाँच वर्ष में संसोधित करने का लक्ष्य रखा गया। जिसके तहत (2015) में संसोधित राष्ट्रीय कौशल विकास नीति की शुरुआत की गई। जिससे युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य तैयार किया जा सके तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

निष्कर्ष

प्रस्तावित शोध अध्याय राष्ट्रीय कौशल विकास नीति एवं युवाओं पर इसका प्रभाव: लखनऊ शहर के दो चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों पर आधारित है। प्रस्तुत शोध अध्याय में शोध अध्ययन स्वरूप लखनऊ जनपद के दो जोनो क्रमशः आलमबाग जोन-5 तथा पुरनिया जोन-3 से दो कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के अर्न्तगत 110 उत्तरदाताओं को शोध अध्ययन स्वरूप चयनित किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में शोध अध्ययन स्वरूप दैव निर्दर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है तथा शोध अध्ययन स्वरूप वर्णनात्मक शोध प्रवधि का प्रयोग किया गया है। शोध अध्याय में शोध अध्ययन स्वरूप आंकड़ों के संकलन के लिए गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों प्रवृत्तियों को सम्मिलित किया गया है। शोध अध्ययन द्वारा एकत्रित किए गए वास्तविक आंकड़ों के संकलन से यह निष्कर्ष निकलता है।

- राष्ट्रीय कौशल विकास नीति एक वृहद नीति है। प्रस्तुत नीति के द्वारा बड़े स्तर पर युवाओं को विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रथम राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का आरम्भ 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास परिषद के माध्यम से किया गया तथा यह भी प्रस्ताव पेश किया गया कि प्रस्तुत नीति की प्रत्येक पाँच वर्ष बाद कौशल प्रगति स्वरूप समीक्षा की जायेगी। प्रस्तुत नीति के अर्न्तगत कौशल विकास कार्यक्रम को प्रशिक्षुता अधिनियम (1961) के अर्न्तगत विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से जोड़ा गया जिसमें आई0टी0आई0 पॉलिटेक्निक, आई0टी0सी0 एवं विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया।

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का उद्देश्य मुख्य रूप से उन समूहों में कौशल प्रशिक्षण की पहुँच को सुनिश्चित करना था जो अभी भी सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं। जिनमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति की महिलाएं एवं पुरुषों को कौशल प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है तथा नीति के अर्न्तगत महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत फीस माफी को भी स्वीकृति दी गई है।

- संसोधित राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2015) का संचालन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2015) द्वारा अपने लक्ष्यों को अधिक तेजी से प्राप्त करने हेतु इसे कौशल प्रशिक्षण की विभिन्न निजी संस्थाओं से जोड़ा गया है। जिनमें महिन्द्रा कौशल प्रशिक्षण केंद्र को प्रमुखता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2015) केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं राज्य स्तर पर उत्तरप्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह नीति युवाओं की पूर्व व्यवसायिक योग्यता को ध्यान में रखकर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। कौशल प्रशिक्षण के तहत कौशल प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति प्रशिक्षणकर्ता आठ हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। प्रस्तुत नीति के अर्न्तगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति से पूर्व प्रशिक्षणकर्ता को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य रखा गया है।
- यदि हम राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2015) की कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्धियों को देखते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में अब तक कुल (2017-18) के अनुसार 30,427 संख्या में युवाओं को

कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जबकि (2017-18) के अनुसार 18,174 संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त नीति के अध्ययन स्वरूप यह भी निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान में अब तक कुल (2017-18) के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्राप्त 12,895 संख्या में युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत शोध अध्याय के निष्कर्ष स्वरूप यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय कौशल विकास नीति युवाओं के कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्ति लक्ष्य में कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर रही है।

- इसके अतिरिक्त शोध अध्याय स्वरूप जब हम कौशल प्रशिक्षित शहरी युवाओं की समाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का विवरण देखते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है ज्यादातर छात्र जो कि कौशल प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त हैं। मध्यमवर्गीय परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। जिसका प्रतिशत अधिकतम 63.3 है। वही कौशल प्रशिक्षित 30.3 प्रतिशत छात्र निम्न परिवारिक स्थिति से सम्बन्ध रखते हैं। शोध अध्ययन के अन्तर्गत यह भी देखा गया कि अधिकतर कौशल प्रशिक्षित छात्रों के पिता का व्यवसाय निजि रोजगार है। जिसका प्रतिशत अधिकतम 39.1 है। वही 24.5 प्रतिशत छात्रों के पिता अपने परिवार के जीवकोपार्जन के लिए कृषि कार्यों में सलग्न है। इसके अतिरिक्त शोध अध्याय से यह भी निष्कर्ष निकलता है 11.8 प्रतिशत छात्रों के पिता सरकारी नौकरी द्वारा अपने परिवार का जीवनव्यापन कर रहे हैं। वही शोध अध्याय के अन्तर्गत यह भी देखा गया है कि 56.4 प्रतिशत छात्रों के पिता की मासिक आय

10–15 हजार है जिसका प्रतिशत अधिकतम है। वही 8.2 प्रतिशत छात्रों ने कहा उनके पिता की मासिक आय 20–25 हजार है।

- वही हम कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल प्रशिक्षित छात्रों की सामाजिक स्थिति का विवरण देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में सामान्य जाति के छात्रों का प्रतिशत अधिकतम 40.0 है। वही कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों का प्रतिशत अत्यधिक निम्न 15.5 तथा 3.6 है। वही कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दू धर्म के छात्रों का प्रतिशत अधिकतम 86.4 है तथा 13.6 प्रतिशत मुस्लिम छात्र एवं छात्राएं कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त हैं। वही हम कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में युवाओं की वैवाहिक स्थिति को देखते हैं तो अधिकतम 89.0 प्रतिशत छात्र अविवाहित हैं। तथा 10.9 छात्र विवाहित है। शोध अध्याय प्रस्तावित आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है। कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की निम्न सहभागिता उनमें कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति निम्न जागरूकता को दर्शाती है।
- इसके अतिरिक्त जब हम कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में युवाओं की शैक्षणिक स्थिति का विवरण देखते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है ज्यादातर छात्र जो कि कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हैं उन्होंने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की है जिसका प्रतिशत अधिकतम 57.3 है। वही 25.5 प्रतिशत छात्रों ने स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है। तथा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में 7.3 प्रतिशत छात्रों ने परस्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है। शोध अध्याय से यह निष्कर्ष निकलता है कि

कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रों की तुलना में छात्राओं का प्रतिशत अधिकतम 50.9 है वहीं छात्रों का प्रतिशत 49.1 है। वहीं कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल प्रशिक्षित छात्रों में (15-20) आयु वर्ग का अनुपात अधिकतम 50.9 देखा गया। अतः प्रस्तावित शोध अध्याय से यह निष्कर्ष निकलता है कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रति छात्रों की तुलना में छात्राएं अधिक रुचि दिखा रही हैं।

- वहीं इसके अतिरिक्त जब हम राष्ट्रीय कौशल विकास योजना एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शहरी युवाओं पर प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्यादातर छात्र जो कि कौशल प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त हैं उनमें अधिकतम 30.0 प्रतिशत छात्र एवं छात्राओं को बीपीओ कॉल सेक्टर एवं टेलीकॉम सेक्टर में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वहीं 20.0 प्रतिशत छात्रों को मोबाइल रिपेयर सेक्टर में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वहीं कौशल कार्यक्रम प्रभाव सम्बन्धी विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है 18.8 प्रतिशत छात्रों को बैंकिंग सेल्स अकाउटेन्ट के रूप में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तथा रिटेल सेक्टर में न्यूनतम 7.2 प्रतिशत छात्र छात्राओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वहीं टेलरिंग एवं इलेक्ट्रीशियन पाठ्यक्रम में कौशल प्रशिक्षित छात्र स्वरोजगार के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- प्रस्तावित अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकलता है कुछ छात्र जो कि कौशल प्रशिक्षित हैं उन्होंने पहले से ही किसी विशेष प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की हुई है। जिनमें 6.3 प्रतिशत छात्रों ने आईटीआई की शिक्षा प्राप्त की हुई है वहीं 5.4 प्रतिशत छात्र

पॉलीटेक्निक डिप्लोमा प्राप्त हैं तथा 17.2 प्रतिशत छात्रों ने कम्प्युटर प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। शोध अध्ययन के निष्कर्ष स्वरूप यह भी स्पष्ट होता है कुछ छात्रों को कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति के समय समस्या का सामना करना पड़ा है। जिनमे 14.5 प्रतिशत छात्रों ने कहा उन्हें व्यवसाय मार्गदर्शन मे कमी तथा कौशल प्रशिक्षण पाठयक्रम मे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की समस्या का सामना करना पड़ा है। वही कौशल प्रशिक्षण केंद्र में कौशल प्रशिक्षित अधिकतर 96.3 शहरी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण केंद्र में किसी भी प्रकार के भेदभाव का अनुभव नहीं किया गया है। वही 4.5 प्रतिशत छात्रों ने कहा है उनके द्वारा प्रशिक्षण के समय भेदभाव का अनुभव किया गया है।

- चयनित किए गए कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों मे कौशल प्रयोगात्मक सम्बन्धी सुविधाओं का विवरण देखे तो यह निष्कर्ष निकलता है कि कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों मे प्रायः प्रशिक्षण के समय सभी प्रकार की प्रयोगात्मक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। जिनमे विभिन्न प्रकार प्रकार के चाट,चित्रों,ग्राफ एवं प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। तथा छात्र छात्राओं के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्हे प्रयोगशाला भी उपलब्ध करायी जा रही है। सर्वधिक 76.4 प्रतिशत छात्रों ने कहा उन्हे प्रशिक्षण के समय सभी प्रकार की प्रयोगात्मक सुविधाएं प्रदान करायी जा रही है।
- शोध अध्ययन स्वरूप यदि हम कौशल विकास कार्यक्रम का युवाओं में प्रभाव का विवरण देखते है तो यह निष्कर्ष निकलता है कौशल प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं के दैनिक जीवन मे कई

प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं। कौशल विकास द्वारा रोजगार प्राप्त करने के बाद छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक-आर्थिक जीवन में बदलाव आया है तथा कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वही अधिकतर छात्रों ने कहा है कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है।

- प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्य जाति के 4.4 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि कौशल विकास द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन में बदलाव आया है। वही सामान्य जाति के 26.6 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 42.2 प्रतिशत छात्रों ने कहा है कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। वही ओबीसी के 36.3 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा उनके जीवन में सभी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं। तथा अनुसूचित जाति के 58.8 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में सभी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं। जिसमें से 23.5 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है। जबकि अनुसूचित जनजाति के 25.0 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में सभी प्रकार के परिवर्तन हुए हैं।
- अतः प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण स्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा छात्रों को रोजगार प्राप्त होने के बाद वे आर्थिक

रूप से सक्षम हुए हैं जिससे से उनके सामाजिक ,आर्थिक जीवन मे बदलाव आया है जिससे समाज मे उन्हे एक सम्मानीय स्थिति प्राप्त हुई है। तथा वे परिवार के जीवकोर्पाजन में सहयोग प्रदान कर पा रहे हैं ।

सुझाव

राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अन्तर्गत कुछ मुख्य सुझाव की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जिससे यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलता पूर्वक प्राप्त कर सके।

- कौशल विकास योजना द्वारा युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए आवश्यक है कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बनाये रखा जाये। जिसके लिए आवश्यक है। युवाओं को योग्य कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा ही कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण की निश्चतता को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न कौशल प्रशिक्षण पाठयक्रमों को सरकारी एवं निजि रोजगार के क्षेत्रो से जोड़ना चाहिए। जिससे युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की ओर अधिक से इच्छुक हो।
- सरकार को कौशल प्रशिक्षण के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कराया जाना चाहिए जो कि वस्तविक रूप से नही प्रदान की जा रही है। जिससे यह प्रोत्साहन राशि युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्ति मे सहायता प्रदान कर सके जिससे युवा अधिक से अधिक कौशल प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जिससे वह योजना का लाभ उठा सके।

- कौशल प्रशिक्षण द्वारा युवाओं को जिस प्रकार का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है समय-समय पर उसका आकलन करना आवश्यक है। जिससे कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी बनी रह सके।
- कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में युवा कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रयोगात्मक सुविधाएँ समय-समय पर उपलब्ध करानी चाहिए। जिससे उनमें तकनीकी एवं प्रयोगात्मक ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Deka, Rupam Jyoti ,Batra Bhavika April (2016). The Scope of Skill Development ,Employability of Indian workforce in contex of Make in india: *International journal of Engineering Technology Management and Applied science* Vol.4 Issue New Delhi: www.ijetms.com.
2. Sharma Lavina, Nagendra, Asha(2016).Skill Development in India:challenges and Opportunities, *Indian journal of science and Technology*, vol 48.
3. Kanchan Sonali,Varshney, Sakshi(2015). Skill Development Initiatives and Strategies” *Asian journal of management research* vol,5. .
4. Nayena S. Tara,N.S Sanath kumar(2016). Skill Development in India: Indian institute of management Bangalore .
5. National Policy on Skill Development(2009).Ministry of Labour and Employment Government of India. Retrieved 28 September 2013,Fromavailableat<http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/policies/National Skill Development Policy March09.pdf>,accessed during .
6. Mrs. Dayal, Smita (2016). Skill Development landscape of India,*International journal of Education or Multidisciplinary Studies* ,vol.03 Mumbai india .
7. International Labor Office(2011). “Formulating National Policy on Skill Development, source:ILO .
8. Government of India Ministry of Health or Family Welfare: youth in India Situation and Needs(2006-07),International Institute for Population science,Mumbai.

9. National Skill Development Corporation Human Resource and Skill Requirements in the capital good Sector, (2012-17),(2012-22).
10. Government of India- Ministry of Skill Development of Entrepreneurship National Skill Development Corporation and KPMG.,Human Resource and Skill Requirements in the food Processing Sector, (2013-17)(2017-22).
11. National Skill Development Agency (NSDA) and the National Skill Development Corporation (NSDC) (2014). Youth Empowerment through skill Development.
12. Government of India: Minisatry of Skill Development and Entrepreneurship(2015),Draft National Policy for skill development and Entrepreneurship.
13. Shah L Jalpa, Birjadar, Vijay(2015). Study of Skill india and Scope of Development: Paridnya the PMIBM Research Journal vol-3 .
14. Parkash Shri, Chaturvedi, H.(2013).Dynamics of Under development of Utter Pradesh: Bloomsbury Publishing India, Pvt.LTD No.3 New Delhi .
15. Verma,Bhavna(2015).Challenges of Skill Development and Rural women Entrepreneurship, International Journal of Multidisciplinary Research in Morden Education, volume.1, pg.599-602.
16. Devi, Raman(2017). Skill India Campaign: Objective,Features, on Challenges: National Journal of Multidisciplinary Research and Development,vol.2,pg.209-210.
17. Kumar,Rajesh(2017).Skill Development Issues,Challenges and Strategies in Bihar the Vocational Education,vol.2,pg.66-70.

18. Okada, Aya. (2012). Skills Development for Youth in India Challenges and Opportunities, CICE Hiroshima University, Journal of International Cooperation in Education. 15(2),pg.169-193.
19. Uttar Pradesh Skill Development Policy,(2013).Government of India,pg.26-50.
20. Pradhan Mantri Kousal Vikash Yojna(2016-20).Ministry of Skill Development and Entrepreneurship,Government of india.
21. Pandey,Seema(2016).ImprovingSkill Development Or Employability Potential through Higher Education Research and Inovation India: International Journal of Inovative Research in Science,vol.5
22. Pandey,Ankul and Dr.Neema, Dk(2017). Impact of Skill India Traning Programme Among the Youth:Intrenational Journal of Multidisciplinary Research,vol.4,pg.294-299.
23. Census of India (2011).
24. Singh, Rajbir Dalal (2009).Problems of Skilled Youths: Prospects and Challenges, Indian Political Science Association,vol.70,pg.215-226.
25. Dr. Prasad, Dr.Purohit D.G.M. (2017). Skill Development, Employability and Entrepreneurship through Make in India: A Study, Journal of Engineering Research and Application,vol.7,pg.18-23.
26. भारतीय ग्रामीण युवाओं पर कौशल विकास योजना का प्रभाव: एक अध्ययन (2017)] 10(2).
27. Mr. Furtado Hansel(2018). A Study on Impact of of Skill Development at Entry Level Job Candidates in india: *International Management Research Conference*,pg.54-57. Mumbai.

एम.फिल. शोध अध्ययन
साक्षात्कार अनुसूची



बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
केंद्रीय विश्वविद्यालय
रायबरेली रोड, लखनऊ

शोध विषय: राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (2009 तथा 2015) एवं युवाओं पर
इसका प्रभाव: लखनऊ शहर के दो चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों का अध्ययन

शोधार्थी परिचय

1. शोधार्थी का नाम.....
2. पाठ्यक्रम का नाम.....
3. कौशल प्रशिक्षण केंद्र का नाम.....
4. चयनित कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र एवं जोन.....

1. उत्तरदाता परिचयात्मक विवरण

- नाम.....
- जिला.....
- जोन.....
- लिंग.....(पुरुष-0 / महिला-1)

1.1 आप किस कॉलोनी या क्षेत्र में रहते हैं |.....

1.2 आपकी आयु क्या है ?

(1) 15–20 (2) 20–25 (3) 25–30

(4) 30–35 (5) 35–40

1.3 आपका जाति समूह क्या है ?

(1) सामान्य (2) ओ.बी.सी.

(3) अनुसूचित जाति (4) अनुसूचित जनजाति

(5) अल्पसंख्यक

1.4 आपका धर्म क्या है ?

(1) हिन्दू (2) मुस्लिम

(3) सिक्ख (4) ईसाई

(5) जैन (6) अन्य

1.5 आपने किस स्तर की शिक्षा प्राप्त की है ?

(1) प्राइमरी (2) अपर प्राइमरी

(3) हाई स्कूल (4) इण्टर मीडिएट

(5) स्नातक (6) परास्नातक

1.6 आपका परिवार आर्थिक रूप से किस वर्ग का है ?

- (1) उच्च वर्ग (2) मध्यम वर्ग
(3) निम्न वर्ग (4) अन्य

1.7 आपके परिवार में सदस्यों की संख्या

- (1) तीन से चार (2) चार से पाँच
(3) पाँच से छः (4) छः से अधिक

1.8 परिवार में आय का मुख्य स्रोत

- (1) कृषि (2) व्यवसाय (3) सरकारी कर्मचारी
(4) प्राइवेट कर्मचारी (5) अन्य

1.9 परिवार की सभी स्रोतों से आय

- (1) दस से पन्द्रह हजार (2) पन्द्रह से बीस हजार
(3) बीस से पच्चीस हजार (4) पच्चीस से तीस हजार

1.10 वैवाहिक स्थिति

- (1) अविवाहित (2) विवाहित
(3) तलाकशुदा (5) विधवा

2. शोध अध्ययन उद्देश्य सम्बन्धी प्रश्न

2.1 क्या आपने इससे पहले कभी किसी प्रकार का व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

(1) हाँ (2) नहीं

2.2 अगर हाँ तो किस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

(1) आई.टी.आई. डिप्लोमा (2) पॉलिटेक्निक डिप्लोमा

(3) कम्प्युटर प्रशिक्षण (4) कोई नहीं

2.3 कौशल प्रशिक्षण संस्था के अर्न्तगत आप किस प्रकार के कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पंजीकृत हैं।

(1) बेकिंग सेल्स रिप्रजेंटेटिव (2) टेलर बेसिक स्विंग

(3) टेली (4) इलेट्रीशियन

(5) टेलीकॉम इन-स्टोर प्रमोटर (6) रिटेल सेल्स एसोसिएट

2.4 क्या आपको संस्था में प्रशिक्षण प्राप्ति के अर्न्तगत किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है ?

(1) हाँ (2) नहीं

2.5 अगर हाँ तो किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है ?

(1) व्यवसाय मार्गदर्शन में कमी

(2) नैतिक समर्थन में कमी

(3) सहपाठी या शिक्षकों द्वारा अनैतिक व्यवहार

- (4) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुणवत्ता की कमी
- (5) कौशल प्रशिक्षण संसाधनों की कमी
- (6) कोई नहीं

2.6 कौशल प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण प्राप्ति के अर्न्तगत आपके द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव का अनुभव किया गया है?

- (1) हाँ (2) नहीं

2.7 अगर हाँ तो किस प्रकार के भेदभाव का अनुभव किया गया है ?

- (1) कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी भेदभाव
- (2) जातिगत भेदभाव
- (3) लिंग सम्बन्धी भेदभाव
- (4) कक्षा में सहपाठी द्वारा भेदभाव
- (5) कोई नहीं

2.8 आपके अनुसार वर्तमान में संचालित विभिन्न कौशल विकास सम्बन्धी कार्यक्रम किस प्रकार रोजगार प्राप्ति में मददगार हैं।.....

.....

.....

2.9 कौशल प्रशिक्षण संस्था में प्रयोगात्मक प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं ?

- (1) हाँ (2) नहीं

2. 10 कौशल प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण के अर्न्तगत किस प्रकार के अत्यआधुनिक कौशल प्रशिक्षण उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है ?

- (1) प्रोजेक्टर द्वारा प्रशिक्षण (2) प्रयोगशाला प्रशिक्षण
(3) चाट,चित्रो एवं ग्राफिक्स प्रयोग (4) सभी

2. 11 राष्ट्रीय कौशल विकास द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। लिखे ?.....
.....

2. 12 क्या आपके अनुसार वर्तमान परम्परागत शिक्षा युवाओं को रोजगार प्रदान करने सक्षम है। हाँ या नही अगर नही तो उल्लेखित करें।.....
.....

2. 13 कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपको किस क्षेत्र में एवं किस प्रकार का रोजगार प्राप्त हुआ है।

- (1) बी.पी.ओ. कॉल सेन्टर
(2) रिटेल सेल्स एसोसिएट
(3) मोबाइल फोन हार्डवेयर एंड रिपेयर सेन्टर
(4) सेल्फ इम्प्लॉयड इलेक्ट्रीशियन
(5) सेल्फ इम्प्लॉयड टेलर स्विंग मशीन ऑपरेटर
(6) बेकिंग सेल्स अकाउंटेंट

2. 14 यदि आप राष्ट्रीय कौशल विकास योजना से सम्बन्धित स्वमं का सुझाव देना चाहते हैं तो लिखें ?
.....